खण्ड–496, अंक–4
रविवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(06 मार्च, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 496 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
आगरा में हुई ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान	7
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	7–8
विधान परिषद् चुनाव में हुई अनियमितता सम्बन्धी नियम–56 की सूचना पर बोलने का प्रयास	9
जनपद सुल्तानपुर थाना चांदगंज के निवासी श्री उमाशंकर मौर्य की हत्या का प्रकरण	9–10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0नि0–2– 319/ग्यारह–9(135)/13–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(151)–2016, दिनांक 03 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	11
उप लोकआयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
कानपुर नगर में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज के अन्तर्गत घटित घटना के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	11
मुजफ्फरनगर में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	11
जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल में पथराव व गोलाबारी की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा	12

विषय **पृष्ठ–संख्या**

गया) ... ...

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 वर्ष 2014–2015 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2014–2015 (सदन के पटल पर रखा गया) 12

विषय	पृष्ठ–संख्या
	I
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	12
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के कतिपय ग्राम सभाओं में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री सोनू यादव आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से कार्यमुक्त होने की तिथि तक प्रारूप पर सही प्रमाण–पत्र दिये जाने विषयक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12–13
जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सरगुआं मैहदूपार अहिरानी के बीच हेड कैनाल दोहरीघाट मुख्य नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बुद्धिराम भारती व आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	13
जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम छपरा धूसर के पुरवा कुसण्डा में मल्लाह डेरा के पास मेन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अलगू यादव आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	13
उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 2014 के प्रथम बुधवार, दिनांक 24 जून, 2014 को उत्तरित अता0प्र0संख्या–159 का संशोधित उत्तर निदेश सं0–167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आज तक उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण	13–14
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63/64 के अन्तर्गत श्री दिलनवाज खान, स0वि0स0 द्वारा श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी स्याना बुलन्दशहर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 पर श्री अध्यक्ष का निर्णय... ...	14–16
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	16
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016	16–17

(पुरःस्थापित) ...
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ... 17
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016
(पुरःस्थापित) 17
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 17–32

विषय	पृष्ठ–संख्या
	I
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	32
अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	32–33
अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	33–34
अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	34–35
अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	35–36
अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	36–37
अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	37–38
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	39–40
अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	40–41
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	41–42
अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)... ...	42–43
अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	43–44
अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	44–45
अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)...	45
अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ...	45
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	45–46
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	46
अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	46–47
अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	47

अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ... 47
अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)... ... 47–48
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत) 48

विषय	पृष्ठ–संख्या
	I
अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	48
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	48–49
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	49–56
जनपद सोनभद्र के तहसील दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	57–58
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के एक निश्चित क्षेत्र की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती श्रद्धा यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	58
जनपद उन्नाव की नगर महापालिका के कतिपय क्षेत्रों में इन्टरलाकिंग टाईल्स सहित कई अन्य व्यवस्थायें किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरन प्रजापति द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	59
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गोमती नदी पर सरोज बड़ेवर घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	59–60
उत्तर प्रदेश के धार्मिक क्षेत्र नैमिषारण्य का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जासमीर अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	60–63
जनपद मथुरा की सहकारी चीनी मिल छाता को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	63–64
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में उत्तराखण्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति रोके जाने के कारण नये उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	64–65
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली व मिल्कीपुर को जोड़ने वाले मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	65–66
मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा	66–68

नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

जनपद गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा दिये जाने में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य 68–70

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज की कतिपय टूटी जर्जर गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 70–71

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजकीय लालबाग आफीसर्स कालोनी की बाउन्ड्री ऊंची कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्दल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... 71–73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

रविवार, दिनांक 06 मार्च, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–260

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय, श्री वाराणसी
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीइलाहाबाद
12. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
13. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
15. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
16. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
17. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
18. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री एटा
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
28. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
29. 'आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
30. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्रीबलरामपुर
32. आलमबदी, श्री आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
34. इकबाल महमूद, श्री संभल
35. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
36. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
37. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
38. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
39. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
40. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
41. उमाशंकर, श्री बलिया

' उप चुनाव में निर्वाचित।

42. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
43. ओम कुमार, श्री बिजनौर
44. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
45. 'कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
46. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
47. काली चरन सुमन, श्री आगरा
48. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
49. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
50. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
51. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
52. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
53. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
54. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
55. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
56. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
57. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
58. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
59. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
60. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
61. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
62. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
63. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
64. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
65. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
66. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
67. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
68. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
69. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
70. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
71. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
72. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
73. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
74. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
75. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
76. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
77. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
78. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
79. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
80. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
81. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
82. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
83. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
84. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
85. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
86. धर्मराज, श्री बाराबंकी
87. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
88. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
89. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
90. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
91. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
92. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
93. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
94. नाहिद हसन, श्री शामली

' उप चुनाव में निर्वाचित।

95. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
96. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
97. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
98. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
99. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
100. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
101. पीतमराम, श्री पीलीभीत
102. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
103. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
104. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
105. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
106. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
107. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
108. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
109. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
110. फेरन लाल, श्री ललितपुर
111. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
112. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
113. बदलू खां, श्री उन्नाव
114. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
115. बाबू खां, श्री हरदोई
116. बावन सिंह, श्री गोण्डा
117. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
118. बैजनाथ, श्री मऊ
119. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
120. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
121. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
122. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
123. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
124. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
125. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
126. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
127. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
128. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
129. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
130. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
131. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
132. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
133. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
134. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
135. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
136. 'माविया अली, श्री सहारनपुर
137. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
138. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
139. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
140. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
141. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
142. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
143. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
144. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
145. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
146. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
147. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
148. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
149. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
150. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
151. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद

' उप चुनाव में निर्वाचित।

152. यासर शाह, श्री बहराइच
153. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
154. योगेन्द्रपाल सिंह, श्रीकानपुर देहात
155. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
156. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
157. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
158. रणजीत सुमन, श्री एटा
159. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
160. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
161. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
162. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
163. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
164. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
165. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
166. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
167. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
168. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
169. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
170. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
171. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
172. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
173. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
174. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
175. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
176. राधे श्याम, श्री अमेठी
177. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
178. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
179. राम करन आर्य, श्री बस्ती
180. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
181. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
182. राम गोविन्द, श्री बलिया
183. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
184. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
185. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
186. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
187. राम मगन, श्री बाराबंकी
188. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
189. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
190. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
191. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
192. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
193. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
194. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
195. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
196. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
197. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
198. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
199. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
200. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
201. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
202. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
203. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
204. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
205. विजय सिंह, श्री रामपुर
206. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
207. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
208. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
209. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
210. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
211. वीरपाल राठी, श्री बागपत
212. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
213. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
214. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
215. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी

216. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
217. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
218. शाकिर अली, श्री देवरिया
219. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
220. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
221. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
222. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
223. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
224. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
225. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
226. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
227. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
228. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
229. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
230. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
231. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
232. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
233. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
234. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
235. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
236. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
237. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
238. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
239. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
240. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
241. सियाराम सागर, डा0 बरेली
242. सीमा, श्रीमती जौनपुर
243. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
244. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
245. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
246. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
247. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
248. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
249. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
250. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
251. सुरेश राणा, श्री शामली
252. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
253. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
254. सुल्तान बेग, श्री बरेली
255. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
256. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
257. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
258. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
259. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
260. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार) श्री राम सकल गूजर भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, आगरा में हुई ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में बहुत ओलावृष्टि हुई है जिससे आलू की खेती चौपट हो गई है, गेहूं की खेती चौपट हो गई है।

श्री अध्यक्ष–

बैठ जायं, निधन के निर्देश लेने दीजिये। निधन के निर्देश में कुछ नहीं बोला जाता है कालीचरन जी। बैठिये।

ख11.01, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देशराज सिंह का 23 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री देशराज सिंह का जन्म वर्ष 1928 में ग्राम करहुली, जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री देशराज सिंह वर्ष 1962 में निर्दलीय तथा वर्ष 1967 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बबेरू, जिला बांदा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री देशराज सिंह कुर्मी क्षत्रिय गौशाला, भुजौली कमेटी के अध्यक्ष तथा क्षत्रिय सभा, बबेरू के उपाध्यक्ष रहे थे। उन्होंने कई कालेजों की स्थापना की थी। अध्ययन तथा सत्संग में उनकी विशेष रुचि थी। श्री देशराज सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सुन्दर शास्त्री का 14 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। श्री राम सुन्दर शास्त्री वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र करण्डा, जिला गाजीपुर तथा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र जमनिया, जिला गाजीपुर से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम सुन्दर शास्त्री एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम सुन्दर शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रिजवान अहमद खां का 14 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री रिजवान अहमद खां का जन्म 13 अगस्त, 1940 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रिजवान अहमद खां वर्ष 2002 तथा वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र कांठ, तत्कालीन जिला ज्योतिबा फूलेनगर (अमरोहा) से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रिजवान अहमद खां ग्राम सभा, गढ़ी के प्रधान तथा जिला परिषद् के सदस्य रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा घुड़सवारी उन्हें प्रिय थी। श्री रिजवान अहमद खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रियदर्शी जेतली का 19 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री प्रियदर्शी जेतली का जन्म 21 अगस्त, 1938 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रियदर्शी जेतली वर्ष 1969 तथा 1974 में कांग्रेस पार्टी तथा वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर, जिला फैजाबाद से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रियदर्शी जेतली ने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल गये थे। वे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। वे जल–कल कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा स्टेट स्पिनिंग मिल, मरैला कर्मचारी संघ के संरक्षक भी रहे थे। श्री जेतली कई शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री प्रियदर्शी जेतली के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व विधान सभा सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक सम्वेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट खड़े होकर मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने–अपने स्थान पर खड़े हुए)

विधान परिषद् चुनाव में हुई अनियमितता सम्बन्धी नियम–56 की सूचना पर बोलने का प्रयास

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियम–56 में एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना दी है और मैंने पढ़ भी लिया है चुनाव का रिजल्ट आ जाए तब उस सूचना पर बोलिए। अभी तो कुछ आया नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

चुनाव का रिजल्ट एक तरफ है लेकिन इसमें जो विषय उठाया गया है अनियमितता का, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है चुनाव का परिणाम इसी से प्रभावित होता है। मान्यवर, इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 आने दीजिए पहले।

जनपद सुल्तानपुर थाना चांदगंज 05 निवासी श्री उदयशंकर मौर्य की हत्या का प्रकरण

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

यह अत्यन्त संवेदनशील मामला है सुल्तानपुर के थाना चांदा में 6 महीने पहले रमाकान्त मौर्य की हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष–

अभी नियम–56 आने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, रमाकान्त की हत्या हुई और उसके सगे छोटे भाई की इसी तीन मार्च को हत्या हो गई। चार दिन से लाश घर पर रखी हुई है। शासन प्रशासन की लापरवाही–.....

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 में स्वीकार है उसमें जब आएगा तब कहिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मात्र 6 महीने के बाद उसके सगे भाई की हत्या हो गई मात्र इसलिए कि अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई होती प्रभावी कार्यवाही हो गई होती.....

(विपक्ष के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ कर नारे लगाने लगे गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर जाकर उसको शस्त्र लाइसेंस देने की बात कहे थे लेकिन शस्त्र लाइसेंस भी नहीं दिए। यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े भाई की हत्या के समय पांच लाख रुपया मुख्य मंत्री कोष से दिलवाया था। 6 महीने हो गया वह नहीं मिला और उसी का नतीजा हुआ कि अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो गए कि उसके दूसरे भाई की भी हत्या हो गई। अगर अपराधियों पर उस समय प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो आज उसके दूसरे भाई की हत्या न होती। उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाएं और ऐसे तमाम निरंकुश अधिकारियों पर अंकुश लगे। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है पहले जब बड़े भाई की हत्या हुई तो अपराधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई जिस प्रकार से यह लोग लीपा–पोती करने का प्रयास कर रहे हैं अपराधियों की गिरफ्तारी से आनाकानी कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी चार दिन से घर पर लाश का होना यह अपने आप में बहुत ही दुःखद घटना है।

(विपक्ष के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो)

माननीय अध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा लोकमहत्व का विषय और क्या होगा कि चार दिन से लाश घर पर रखी है। पहले उसके बड़े भाई की हत्या हुई थी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र लाइसेंस देने की बात कही थी 6 महीने बीत जाने के बाद भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया। पांच लाख रुपया मुख्य मंत्री जी के कोष से मृतक परिवार

को देने की बात कही थी वह भी नहीं पहुंचा है। जिला प्रशासन मुख्य मंत्री के आदेशों को नहीं मान रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अभी नियम–56 पर जब आप रखेंगे तो सरकार से जवाब भी आएगा। आप इस तरह से रख रहे हैं तो सरकार से कोई जवाब भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है आपने अपनी बात कर दी तो जब नियम–56 आवे तो अपनी बात कहिएगा तो सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इसका जवाब मिल जाएगा। इस तरह से तो कुछ आपको मिलेगा नहीं इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं अपनी–अपनी सीटों पर चलिए।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर चार दिन से लाश घर पर रखी हुई है यह इतनी बड़ी दर्दनाक घटना है इस तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर आप तत्काल सुनें और सरकार इस पर व्यवस्था कराये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप भी सरकार में रहे हैं यह लोग भी सरकार में रहे हैं हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष में भी हम रहे हैं यह सब सही है लेकिन आप जानते हैं कि जब इसे नियमों में ले लिया गया है तो इस तरह से शोर करेंगे तो सरकार की तरफ से कुछ आएगा नहीं। जब नियम–56 में कहेंगे तो सरकार की तरफ से पूरे तथ्य आएंगे उस समय अगर कोई बात हो तो कहिएगा।

(वेल में उपस्थित सदस्य गूंगी बहरी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हत्यारों को गिरफ्तार करो के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

सरकार चल तो रही है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही बन्द कर देते हैं।

(इसी मध्य वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गए)

ख1.12, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च, 2015[ङ]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[ङ] छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0नि0–2–319/ग्यारह–9 (135)/13–उ0 प्र0 अधिसूचना–5–2008–आदेश(151)–2016, दिनांक 3 मार्च, 2016४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या– क0नि0–2–319/ग्यारह–9 (135)/13–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(151)–2016, दिनांक 03 मार्च, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2015४

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

---

४ छापा नहीं गया।

४४ छापी नहीं गयी।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2015 (उप लो0आ0) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कानपुर नगर में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज के अन्तर्गत घटित घटना के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 28–02–2014 को जनपद कानपुर नगर में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज तथा उसके आस–पास पेट्रोल पम्प पर हुई घटना के संबंध में एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन को कृत कार्यवाही के विवरण सहित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा–3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

मुजफ्फरनगर में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मुजफ्रनगर में दिनांक 27–08–2013 से 09–09–2013 तक घटित घटनाओं के सम्बन्ध में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन के खण्ड–प से ट को कृत कार्यवाही के विवरण सहित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा–3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल में पथराव व गोलाबारी की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ में दिनांक 14/15–08–2010 को पथराव व गोलाबारी की घटनाओं के सम्बन्ध में गठित एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट को कृत कार्यवाही के विवरण सहित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा–3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 वर्ष 2014–2015 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2014–2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 वर्ष 2014–2015 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2014–2015 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

---

[४] छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

ख1.16, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के कतिपय ग्राम सभाओं में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री सोनू यादव आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या–14।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के कतिपय ग्राम सभाओं में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री सोनू यादव व श्री ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से कार्यमुक्त होने की तिथि तक प्रारूप पर सही प्रमाण–पत्र दिये जाने विषयक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

डॉ0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से कार्यमुक्त होने की तिथि तक प्रारूप पर सही प्रमाण–पत्र दिये जाने विषयक डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव व डा0 मनीष शुक्ला निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सरगुआं मैहदूपार अहिरानी के बीच हेड कैनाल दोहरीघाट मुख्य नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बुद्धिराम भारती आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सरगुआं मैहदूपार अहिरानी के बीच हेड कैनाल दोहरीघाट मुख्य नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बुद्धिराम भारती व श्री रमेश प्रधान निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम छपरा धूसर के पुरवा कुसण्डा में मल्लाह डेरा के पास मेन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अलगू यादव आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

---

[४४] छापी नहीं गयी।

४४ छापी नहीं गयी।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम छपरा धूसर के पुरवा कुसण्डा में मल्लाह डेरा के पास मेन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अलगू यादव व श्री मातादीन यादव निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

ख11.18, उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 2014 के प्रथम बुधवार दिनांक 24 जून, 2014 को उत्तरित अता0प्र0संख्या–159 का संशोधित उत्तर निदेश सं0 167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आज तक उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण

श्री अध्यक्ष–

सदन को एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार दिनांक 24 जून, 2014 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा निदेश संख्या–167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 26 जून, 2014 के सम्बन्ध में मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्नगत प्रकरण में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु बार–बार स्मरण–पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन द्वारा उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुये संशोधित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2015 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दी गई सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2016 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। इस पर बोलना नहीं है। आप बैठ जाईये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63/64 के अन्तर्गत श्री दिलनवाज खान, स0वि0स0 द्वारा श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी 'स्याना' बुलन्दशहर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना, दिनांक 24 जुलाई, 2014 पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63/64 के अन्तर्गत श्री दिलनवाज खान, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार–हनन की

सूचना, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के मामले में मैंने निर्णय ले लिया है और उसमें सदन की अवमामना तथा विशेषाधिकार–हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

उपर्युक्त मामले में मेरे द्वारा लिया गया निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2016 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

ख मा0 श्री दिलनवाज खान, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63/64 के अन्तर्गत श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी, स्याना, जनपद–बुलन्दशहर के विरुद्ध विशेषाधिकार–हनन की सूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 अभिसूचित की गयी।

मा0 सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद–बुलन्दशहर में तैनात श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार का पालन नहीं किया जाता है। मा0 सदस्य द्वारा जब कभी क्षेत्र की जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के निदान हेतु मोबाइल से फोन किया जाता है तब क्षेत्राधिकारी द्वारा जानबूझकर उन्हें नजरन्दाज कर दिया जाता है। एक बार मा0 सदस्य ने अपने कार्यकर्ता के सामने क्षेत्राधिकारी से मोबाइल पर बात करनी चाही तो उन्होंने काल रिसीव नहीं किया। मा0 सदस्य को मजबूरन अपने प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्राधिकारी को बात करने का संदेश भिजवाया परन्तु उन्होंने बात करने से मना कर दिया तथा मा0 सदस्य के लिए अपमानजनक भाषा प्रयोग करते हुए कहा कि उनके जैसे बहुत विधायक देखे हैं। श्रीमती वन्दना उनसे बात करने के लिए बाध्य नहीं हैं। माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि इससे उनकी छवि खराब हुयी और उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ। श्रीमती वन्दना की कार्यशैली एवं व्यवहार से स्याना की कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। माननीय सदस्य द्वारा श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर के विरुद्ध विशेषाधिकार–हनन के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्रीमती वन्दना, क्षेत्राधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में श्रीमती वन्दना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वह दिनांक 02 नवम्बर, 2014 से सर्किल सिविल लाइन मेरठ पर क्षेत्राधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। इससे पूर्व वह जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 23 सितम्बर, 2011 से दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 तक क्षेत्राधिकारी स्याना के पद पर कार्यरत रहीं। उक्त अवधि में उनके द्वारा राजकीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया गया। जिसकी क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधि व विभाग के सभी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गयी। माह सितम्बर, 2011 से माह फरवरी, 2014 तक मा0 विधायक, श्री दिलनवाज खान, द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। सर्किल स्याना क्षेत्र में दिनांक 30 अगस्त, 2013 को श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री हिशामुद्दीन निवासी, विकास नगर कालोनी, कस्बा व थाना स्याना, जनपद–बुलन्दशहर ने अपनी पुत्री सन्नो की उसकी ससुरालवालों द्वारा दहेज के लिये जलाकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना–नरसैना, जनपद–बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0–38/2013 धारा 498ए/304ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराया था।

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसकी विवेचना उनके द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के मध्य निष्पक्ष कार्रवाई करते हुये सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कर अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी थी। विवेचना के दौरान मा0 विधायक, श्री दिलनवाज खान द्वारा फोन से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उक्त अभियोग में शेष नामजद अभियुक्तगण की नाम विवेचना से पृथक करने हेतु उन पर अनुचित दबाव बनाया गया किन्तु उन्होंने सुसंगत साक्ष्य के आधार पर विधि/न्यायसंगत कार्रवाई कर राजकीय कार्य को अंजाम देते हुये बिना किसी दबाव एवं प्रलोभन के उक्त अभियोग में शेष नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–19ए/2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 को किता कर मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 विधायक, श्री दिलनवाज खान जी द्वारा श्रीमती वन्दना के न्यायपूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई को अंजाम देने एवं अनुचित दबाव न मानने के फलस्वरूप कुपित एवं क्षुब्ध होकर उनके विरुद्ध प्रश्नगत लिखित शिकायत की गयी। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–बुलन्दशहर को प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि माह मार्च, 2014 तक मा0 विधायक, श्री दिलनवाज खान द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। सभी शिकायतें फरवरी, 2014 से जुलाई, 2014 के मध्य की गयी हैं। उक्त अभियोग माह अगस्त, 2013 में थाना–नरसेना, जनपद–बुलन्दशहर पर पंजीकृत हुआ तथा फरवरी, 2014 में अभियोग में आरोप–पत्र प्रेषित करने के उपरान्त ही श्री दिलनवाज खान, मा0 विधायक जी द्वारा उपर्युक्त अभियोग में अपनी मनमाफिक कार्रवाई न होने पर द्वेषपूर्ण तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रस्त मनगढ़न्त आरोप लगाकर कथित शिकायत की गयी जो सत्यता से परे है। उनके द्वारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि से ससम्मान फोन एवं प्रत्यक्ष रूप से वार्ता की गयी और मा0 सदस्य द्वारा जब भी उन्हें फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से मिलने की अपेक्षा की गयी है तो उन्होंने तत्काल उनसे वार्ता की और उनके द्वारा की गयी शिकायतों का तत्परतापूर्वक निस्तारण किया एवं कराया गया। यह आरोप असत्य एवं निराधार है कि उनके द्वारा मा0 सदस्य का फोन रिसीव नहीं किया गया तथा उनके द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि से वार्ता नहीं की गयी। मा0 विधायक, श्री दिलनवाज खान के साथ–साथ जनपद बुलन्दशहर के अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य व्यक्तियों के साथ ससम्मान वार्ता करते हुये उनके द्वारा उठाई गयी समस्याओं एवं शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर तत्परता से उनका निस्तारण किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य, श्री दिलनवाज खान की सूचना के सापेक्ष प्राप्त श्रीमती वन्दना, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर के स्पष्टीकरण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य द्वारा मोबाइल से श्रीमती वन्दना को फोन अवश्य किया गया होगा। चूंकि मा0 सदस्य द्वारा फोन करने का कारण अथवा बातचीत के विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मा0 सदस्य का कार्य उनके विधायी दायित्वों, विधायिका अथवा मा0 सदन के कार्य से सम्बन्धित था। श्रीमती वन्दना के स्पष्टीकरण से यह अवश्य परिलक्षित होता है कि कथित मुकदमें/मामलें में मा0 सदस्य एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, श्रीमती वन्दना में मतभेद उत्पन्न हुआ। कदाचित मा0 सदस्य की मंशा के अनुरूप कार्रवाई न

होने से वह उक्त क्षेत्राधिकारी से असंतुष्ट हैं। किसी मामले की विवेचना में विधिक कार्यवाही करना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का दायित्व एवं कर्तव्य है, जो श्रीमती वन्दना द्वारा किया गया प्रतीत होता है। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सदस्य की उपेक्षा एवं उनके विधायी अधिकारों का हनन अथवा अवहेलना परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामला विधान सभा अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य की शिकायत के सापेक्ष श्रीमती वन्दना, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर के स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार–हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत मामले को अग्राह्य करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 17, 19 कुछ नहीं है। अब मद संख्या–19।

ख्11.19, आर्ह0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[४] दिनांक 28 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016[४४]

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016[४४]

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख1.24, कार्य–स्थगन का प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 06–03–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें से मैं एक–एक करके सूचनाएं ले रहा हूं, पहले से उत्तेजना बढ़ने से कोई फायदा नहीं है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के विधायक डा0 धर्म सिंह सैनी, मो0 आरिफ, मो0 मुसर्रत अली बिट्टन, श्री त्रिभुवन राम, श्रीमती पूजा पाल, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री गयाचरण दिनकर, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सुल्तान बेग, श्री ममतेश शाक्य, श्री

[४४] दिनांक 30 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

बब्बन सिंह चौहान, श्री काली चरन सुमन और श्री रामवीर उपाध्याय के भी हस्ताक्षर हैं– दिनांक 03–03–2016 को जनपद सुल्तानपुर के थाना चांदा के अन्तर्गत ग्राम सिंहौली के श्री उमा शंकर मौर्या तथा दिनांक 04–09–2015 को उनके बड़े भाई श्री रमाकान्त मौर्या की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मौर्या जी, आप बोलेंगे या कोई अन्य सदस्य बोलेगा ?

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरह पूरे प्रदेश में अराजकता चरम पर पहुंच गयी है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। प्रदेश की जनता पर बड़े पैमाने पर कहर बरपाने का काम कर रहे हैं जिसके कारण प्रदेश में कानून राज कहीं दिखायी नहीं दे रहा है। प्रदेश में पूरा जंगलराज का वातावरण बन गया है, आए दिन लोग अराजकता की भेंट चढ़ते रहते हैं। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे लखनऊ व आसपास के जिले हों, उनमें कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, उसका जीता–जागता उदाहरण 03 मार्च को जनपद सुल्तानपुर के थाना–चांदा के अन्तर्गत ग्राम सिंधौली में श्री उमाशंकर मौर्या की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या की गयी। जब कि अध्यक्ष जी, 04–09–2015 में इसी प्रकार इनके सगे बड़े भाई श्री रमाकान्त मौर्या जी की गोली मार कर हत्या की गयी थी। जब यह मामला उठाया गया तो जिला प्रशासन द्वारा कहा गया कि उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जायेंगे, परिवार को पूरी सुरक्षा दी जायेगी, गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा का आलम यह रहा, अध्यक्ष जी, कि सुरक्षा देना तो दूर, असलहे देना तो दूर, उनके भाई की भी दो–तीन दिन पहले उन्हीं हत्यारों ने हत्या कर दी। अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि 05 लाख रूपये दिए जायेंगे, आज तक वह लोग इन्तजार कर रहे हैं। आज तक वह लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, घोाषित राशि सम्भवतः जनपद तक पहुंच गयी। लेकिन उन लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं हो पाया है। अध्यक्ष जी, बड़े ही जघन्य तरीके से दिन–दहाड़े हत्या करके हत्यारे कानून को चुनौती दे रहे हैं। जैसे कानून उनकी जेब में हो गया है। और पूरे परिवार की हत्या करके तहस–नहस करना चाह रहे हैं। उस परिवार में इतना ज्यादा भय व्याप्त हो गया है कि उन्होंने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। वह यह कह रहे हैं कि जब तक मा0 मुख्य मंत्री जी जिन्होंने 05 लाख रुपये देने की घोषणा की थी जब तक वह वहां पहुंच कर उस परिवार का दर्द नहीं सुनते उस परिवार की बातों को नहीं सुनते तब तक वह लोग उस शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर प्रकरण है। दो–दो सगे भाईयों की 06 महीने के अंतराल पर हत्या होना यह कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही जघन्य अपराध किया

गया है। जिला प्रशासन द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गयी है। जिला प्रशासन द्वारा यदि सुरक्षा एवं शस्त्र लाइसेंस दे दिये गये होते तो उमा शंकर मौर्या जी की जान को बचाया जा सकता था। यदि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी होती तो आज दोबारा यह हत्या न होती। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से आज यह कहना चाहता हूं कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा करायी जाये। अपराधियों की गिरफ्तारी की जाये। उनको दी जाने वाली सहायता पहुंचायी जाये, उनको शस्त्र लाइसेंस मिले। और उनके आगे की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाये। अब कहीं ऐसा न हो कि परिवार के तीसरे और सदस्य की हत्या हो। तो हम उस बात को उठावें। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे और न्यायोचित कार्रवाई होगी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उमाकान्त मौर्या जिसकी हत्या 03 मार्च को हुयी। जैसा कि सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया कि 06 महीने पहले 04–09–2015 को इनके सगे बड़े भाई की भी हत्या हुयी थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, कल नेता विरोधी दल नहीं थे, कल शुरू में ही एक हत्या का मामला आया था। क्या नाम था उनका।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

श्री सतेन्द्र कुमार।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उनके लिये मेरी नेता सदन से बात हो गयी है उनकी आर्थिक मदद बढ़ा दी जाएगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, बात आर्थिक मदद की नहीं है। इस प्रकरण में भी जब उमाकान्त मौर्या के बड़े भाई रमाकान्त मौर्या की हत्या हुयी थी तो उस समय इस प्रकरण के संबंध में मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से बात की थी। पांच लाख रुपया मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने मुख्य मंत्री कोष से देने की घोषणा की थी और लगभग पांच महीने से वह धन जिलाधिकारी कार्यालय पर आज भी पड़ा हुआ है। परिवार को नहीं पहुंचा। जब रमाकान्त मौर्या की हत्या हुयी थी उस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों मौके पर गये थे वहां पर कम से कम पचासों हजार की भीड़ थी। पूरे जनसमूह ने परिवारजनों को शस्त्र लाइसेंस देने की बात की थी। 06 महीने बीत गये शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, उमाकान्त मौर्या की हत्या किये जाने पर भी मैंने मुख्य मंत्री से वार्ता की। इस पर भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख रुपया अपने मुख्य मंत्री

कोष से देने का मुझसे वायदा किया था। और जिलाधिकारी को उन्होंने इस बात का निर्देश भी दिया। लेकिन गांव वालों को, परिवार वालों को इस बात का विश्वास इसलिए नहीं है कि जब पहले मा0 मुख्य मंत्री जी ने पांच लाख रुपया देने की घोषणा की वह आज तक नहीं गया। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक दोनों सार्वजनिक रूप से शस्त्र लाइसेंस देने की बात की थी। आज तक शस्त्र लाइसेंस नहीं निर्गत किया गया। दस लाख रुपया जाएगा नहीं जाएगा इसका भी उनको यकीन नहीं है। इसलिए वह चार दिन से उमाकान्त मौर्या की लाश घर पर रखे हुये हैं। और उन सारे लोगों का यह आग्रह है कि मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं चलकर यहां आयें और अपनी तरफ से कुछ बात करें। तब हम इसका शवदाह करेंगे अन्यथा हम यहीं पर पड़े रहेंगे और यहां तक कि परिवारीजन तो आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हो गये हैं, उनको मैंने बहुत समझाया–बुझाया कि इस पर मेरी मुख्य मंत्री से वार्ता हो रही है, आप लोग लाश की अन्त्येष्टि कराओ और किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई न करो कि आपको कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़े, मैंने उनको कई बार इस बात को समझाया, लेकिन वह इस बात पर अड़े हुए हैं मात्र इसलिए कि अगर जिला प्रशासन अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मुख्य मंत्री जी द्वारा भेजा गया 05 लाख रुपया उनके परिवारीजन को पहुंच गया होता, तो शायद उनको विश्वास होता कि मुख्यमंत्री जी जो भी कह रहे हैं, उसका सही अमलीजामा होगा, लेकिन जिस तरीके से मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री के निर्देशों को भी जिला प्रशासन हवा में टालने की कोशिश करते हैं और जिस तरीके से जिला प्रशासन आज अपने तौर तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, अपराधियों के खिलाफ उनकी मिलीभगत रहती है, यही कारण है कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों के हौसले को पस्त करने के लिए वह कहीं न कहीं अमादा दिखाई पड़ते हैं, जिससे आजिज आ कर के परेशान होकर के परिवारीजन आज लगातार चार दिन से धरने पर बैठे हैं और अपने आवास पर इस निवेदन के साथ कि मा0 मुख्य मंत्री जी आयेंगे तभी हम इसकी अन्त्येष्टि करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय जी मैं आपसे चाहूंगा कि यह अति संवेदनशील मामला है, गम्भीर भी है, चार–चार दिन से लाश घर पर रखी हुई है, पूरे परिवारीजन भूखे–प्यासे, रोते–बिलखते पड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनके नातेदार तथा परिवार के साथ–साथ गांव पास–पड़ोस के सारे के सारे लोग बड़े पैमाने पर वहां भीड़ चारों दिन से लगातार जमा रहती है, ऐसे हालात में इसमें कोई न कोई बीच का रास्ता निकाला जाय जिससे कि मामला शान्त भी हो सके, अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो सके और जो पहले प्रशासन ने वायदा किया, उसको भी पूरा किया जा सके तथा मा0 मुख्य मंत्री जी ने राहत कोष के नाम पर वहां पर जो धन दिया है तत्काल उनको मिले भी, जिससे कि उनको यह विश्वास हो कि जो भी मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, वह अमल भी होगा, अन्यथा मान्यवर, इस प्रकार का उनका लगातार धरना चल रहा है जो अविलम्बनीय भी है, लोकमहत्व का भी है, इसलिए मान्यवर नियम–56 के अन्तर्गत मैंने इस विषय को आप के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराने का काम

किया है कि सरकार बीच में इसमें हस्तक्षेप करे और इसका कोई न कोई निदान निकाले।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने रुपया दिया है, वह यह चाहते हैं, श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दो चीजें हैं एक तो प्रशासनिक कार्रवाई और पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई हो, सख्त हो, उसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है और कार्रवाई होती है, कोई कमी होगी तो वह नहीं रहेगी, दूसरे आर्थिक मदद की है, देखिये आपने कह तो दिया कि आर्थिक मदद का कोई सवाल नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं, यह तो बात वाजिब है कि आप यह कहिये कि आर्थिक मदद की घोषणा हुई वह नहीं मिली, मिलना चाहिए। मैंने तो इस खयाल से यह कह दिया था कि मैंने वायदा किया था सदन में कल जब सब लोग वेल में थे कि हम नेता सदन से खुद अपने तौर पर भी आग्रह करेंगे कि इस राशि को बढ़ा दिया जाय, आपने उसे फौरन कहा कि नही उसकी कोई जरूरत नही है, तो अगर मदद की जरूरत नही है तो फिर यह शिकवा भी जरूरी नही है कि आर्थिक मदद हुई कि नहीं हुई, पैसा मिला कि नहीं मिला। हम एक तो जान से जायें और फिर आर्थिक मदद में भी यह कह कर मदद लें कि नहीं जरूरत भी नहीं है, नहीं जरूरत है, अगर कहीं कोई गलती कमी हो रही है, तो उस गलती और कमी को देखा जाय, मुख्यमंत्री जी खुद उसे देखे, जिला प्रशासन क्यों ऐसा कर रह है तो उसके लिए नेता सदन आयेंगे मैं भी बात करता हूं, आप भी कहिये, यहां के बाद भी कहा जा सकता है, तो आर्थिक मदद तो दिलानी ही पड़ेगी, दिलानी चाहिए और यह कोई राजनैतिक मामला नहीं बनना चाहिए। एक चीज, लाइसेन्स देने की बात, मैं कह नहीं सकता क्या वजह रही होगी, लेकिन इन चार वर्षों की सरकार में मैं अपने रामपुर शहर की बात कहता हूं एक भी लाइसेन्स किसी को नहीं दिला पाया हूं और दिलाने की कोशिश भी नहीं करता हूं। यह विशेष परिस्थिति में मिल सकता है, लाइसेन्स इतनी मेरी जानकारी नहीं है वरना हाईकोर्ट की तरफ से आपको मालूम है कि एक आदेश हुआ है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

रोक हट गई है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं, मेरे ख्याल से सूचना सही नहीं है आपकी, उन्होंने यह कहा है कि जो शूटर्स हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट को ही आप देंगे और बहुत ही लिमिटेड एरिये का लाइसेन्स देने का, अभी तक वह हटा नहीं है आदेश बदला नहीं गया है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

हमारे जिले में तो लाइसेन्स जारी किये गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब वह जो लाइसेन्स जारी हुए हैं, उन पर भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है उन सारे जिला अधिकारियों का और वह काफी परेशानी में हैं। तो उसे देख लेंगे, अगर कोई भी प्राविधान ऐसा होता है, तो उसमें कंसीडर होना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अनुदान न लेने की हमने कभी बात ही नहीं की है। संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद यह नहीं मालूम कि इस तथ्य को मैंने ही माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाया और मेरे ही निवेदन पर 10 लाख रुपया इसके लिए भी स्वीकृत किया गया लेकिन जब 6 महीने पहले बड़े भाई की हत्या पर मुख्य मंत्री कोष से दिए गए 5 लाख रुपये, अभी उनके परिवारीजन को नहीं मिले, तो उनको इस बात का यकीन नहीं है कि यह भी पैसा मेरे पास आयेगा कि नहीं आयेगा। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जिस समय उमाकान्त मौर्य के बड़े भाई रमाकान्त मौर्य की हत्या 04–09–2015 को हुई थी, उस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर गये थे। पचासों हजार की भीड़ में सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा की थी कि हम तत्काल पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस दिलवायेंगे। 6 महीने बीत जाने के बाद भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया गया। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि अपनी ही घोषणा से मुकर गए और दूसरी चीज माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा मुख्य मंत्री कोष से भेजे गये 5 लाख रूपये आज भी जिला प्रशासन कार्यालय में पड़े हुए हैं, परिवारीजन को नहीं पहुंचे हैं। इससे परिवार के लोगों का जिला प्रशासन से विश्वास उठ गया है। मान्यवर, 4 दिन हो गये, लाश घर पर रखी हुई है। एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। किसी भी मुल्जिम का न पकड़ा जाना, कहीं न कहीं जिला प्रशासन की, हत्यारों से मिलीभगत की बू आती है और अगर कहीं जिला प्रशासन निष्पक्ष इस पर कार्रवाई करता, तो 4–4 दिन का समय बहुत पर्याप्त होता है। अभियुक्तों तक जिला पुलिस पहुंच गयी होती, गिरफ्तारी हो गयी होती, परिवारीजनों का इस बात का विश्वास होता कि प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन इस दुःख की घड़ी में हमारे घावों पर मलहम लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन की बेरूखी है, जिस तरीके से जिला प्रशासन उस पीड़ित परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, जिस तरीके से जिला प्रशासन अभियुक्तों का साथ देता नजर आ रहा है, इससे उस पूरे क्षेत्र में भीषण जनाक्रोश है। इसीलिए यह अतिसंवेदनशील और गंभीर मामला है। किसी की हत्या हो, परिवारीजन भूखे–प्यासे, रोते–बिलखते रह करके 4–4 दिन लाश को घर पर इस बात के लिए रखे हों कि जिला प्रशासन से उनका विश्वास उठ गया। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं हमारे इस दुःख की घड़ी में आंसू पोंछने के लिए अगर आ जाएंगे, उनकी जुबान से अगर एक शब्द भी निकल जायेगा तो हम उसको कुछ मान लेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रदेश का मुखिया अगर कुछ कह रहा है तो सही होगा क्योंकि जिला प्रशासन ने तो अब तक मामलें पर लीपा–पोती करने का काम किया है। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि इस पर

संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका निभाने की बजाए, संवेदनशील मामले पर संवेदनशीलता अपनाते हुए अगर कुछ सकारात्मक रुख रखेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे खेद है अगर मेरा रुख सकारात्मक नहीं है, मुझे खेद है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस गंभीर मामले पर भी सरकार संवेदनहीनता दर्शाने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, इसलिए गुण्डे, माफिया, अपराधी, अराजकपरस्त समाजवादी पार्टी सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मौर्य जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद चन्दौली की मुगलसराय नगर पालिका में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसकी जानकारी मैंने पहले भी जिला प्रशासन के साथ–साथ मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी दी है, अवगत कराया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमसे इसी सदन में जानकारी मांगी थी, कहा था कि जो भी है लिखकर दे दो और मैं उस पर कार्रवाई करा देता हूं लेकिन वह पत्र कहां गया, आज तक हमें उसकी भी जानकारी नहीं हो पाई। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि नगर पालिका मुगलसराय में बड़े पैमाने पर खरीदारी में अनियमितता की गई है। मान्यवर, नगर पालिका, मुगलसराय में बड़े पैमाने पर खरीदारी में अनियमितता की गई है। मान्यवर, नगर पालिका मुगलसराय में बिजली के लिए जो सामान लिया गया था उसमें 8.5 मीटर के आर0सी0सी0 पोल का सरकारी रेट 2748 रुपये है। हम लोग जो अपनी निधि से गॉव में पोल लगाते हैं, बड़े पैमाने पर निधि से पैसा देते हैं तो वह 2748 रुपये ही काटा जाता है लेकिन नगर पालिका के द्वारा वही पोल 5400 रुपये में खरीदा गया है। यह बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। इसी तरह 15 के0वी0ए0 के जेनरेटर का दाम 3 लाख 15 हजार रुपये है किरलोसकर और आयशर दोनों कम्पनी का और वहां पर वही जेनरेटर 3 लाख 15 हजार रुपये की जगह पर 5 लाख 15 हजार रुपये में खरीदा गया है जिसका कोटेशन और सारी चीजें मैंने अपने पास भी रखी है जरूरत पड़ेगी तो मैं मा0 मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, ऐसे ही 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफॉर्मर का दाम 3 लाख 87 हजार है और उसी जेनरेटर को वहां पर 6 लाख 34 हजार रुपये में लिया जाता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से जांच कराए। ऐसे ही वहां पर आर0ओ0 प्लाण्ट लगाया गया है जिसकी कीमत और कोटेशन उस कम्पनी से मेरे द्वारा भी लिया गया है। उसका दाम

6 लाख 34 हजार रुपये था लेकिन उसी आर0ओ0 प्लाण्ट को 7 लाख 86 हजार रुपये में लगाया गया है। मान्यवर, वहां पर इस तरह की तमाम वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं और 2012 से लेकर अब तक सैकड़ों कोटेशन बनाकर, एक लाख के नीचे के कोटेशन बनाकर बिना टेण्डर किए वहां पर घोटाले की भेंट चढ़ाए गए हैं। मैंने इसकी शिकायत मा0 मंत्री जी से पहले भी की थी और मैंने मा0 मंत्री जी को पहले भी एक पत्र दिया था कि वहां पर सोलर लाईट लगाई गई हैं। सोलर लाइट को हम लोगों ने अपनी निधि से 14 हजार रुपये में अपने क्षेत्र में लगाने का काम किया है लेकिन उसी सोलर लाईट को नगर पालिका ने 54 हजार रुपये में खरीदने का काम किया है। जब मैंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो शिकायत करने बाद रातों–रात उन सोलर लाइटों को उतारने का काम किया गया। मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए और उसका टेण्डर हुआ था। प्रकरण में सारी चीजों का टेण्डर हुआ था। मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का ही विभाग है और यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आए। इसी के साथ मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और इस पर मा0 मंत्री जी का जवाब चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि आप शिकायत कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त होगी, बहुत शिकायतें हैं, मैं इससे इंकार नहीं करूंगा कि यह पूरी तरह से गलत है। अब इसका हल नहीं है मेरे पास, जिन्हें सजा देता हूं उनको स्टे मिल जाता है और यह भी आदेश आ जाता है कि यहीं रखिए। यह भी आदेश आ जाता है कि इन्हें एक नगर पालिका और दे दीजिए तो सजा हम दे नहीं पा रहे हैं, सस्पेण्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, हटा भी नहीं पा रहे हैं, बड़ी दुश्वारी है, परेशानी है तो जो हमसे ऊपर के लोग हैं, उनकी वजह से बहुत सी चीजें खराब हो रही हैं। हम जांच कराते हैं, जांच में आमतौर पर यह होता है कि दोषी बच जाता है, हमारी ही कमियां हैं। इसमें किसी सरकार या पार्टी का मामला नहीं है और अगर सजा दे लेते हैं तो फिर एक जगह है जहां से रोक आ जाती है। अब आप हल बता दें। मैंने कुछ नहीं लिया है उसमें ये आपको बताए देता हूं। मैंने लिया हो तो वापस कर दूंगा। बहुत पकड़ता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, बहुत सख्ती करता हूं मगर इलाज तो मर्ज का है ना बेशर्मी का इलाज थोड़े है। बहुत नाराज हूं, बहुत सी चीजों से बहुत नाराज रहता हूं, बहुत सख्त कार्रवाईयां करता हूं उससे भी नतीजा नहीं निकलता है तो जुबान तो काटूंगा नहीं। करेंगे कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्त हैं हम इस मामले में, जो भी कमी होगी देखेंगे।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

500 पोल खरीदे गये हैं माननीय मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने कहा तो मैं दिखवाऊंगा इसे। यहां कह देना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री बब्बन सिंह चौहान को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह नियम–56 में नहीं आता है, इसे अग्राह्य करता हूं। अगला श्री अनुग्रह नारायण सिंह का है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर लगभग 15 दिन से बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसम्बर, 2014 को 15000 बी0टी0सी0 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। उसमें उस समय उनकी संख्या 15000 पद की थी, लेकिन 2014 के बाद आज तक 4 बार उसमें आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और इससे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई और इस समय अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 46000 हो गई। इस समय सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सहायक शिक्षकों के पद खाली हैं लगभग 16439 पद इसमें खाली हैं। उन लोगों की मांग है कि इन पदों को भी 15000 पदों के साथ जोड़कर उन लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाए। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान में आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार हो इसके लिए इतने दिनों से हम लड़ रहे हैं, जय प्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई हुई फिर जब 1989 में बदलाव हुआ तब भी लड़ाई हुई लेकिन शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया। आज 2009 में यू0पी0ए0 की सरकार ने शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया है। बेसिक शिक्षा पूरी शिक्षा की नींव है। पद रिक्त हैं, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, तमाम शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया कि ऊपर से रोक, हम लोगों के ऊपर भी एक संस्था है, जो इस तरह की तमाम भर्तियों पर भी रोक लगा दे रही है, लेकिन इसमें अभी रोक नहीं लगी है। मान्यवर, इन लोगों की मांग है कि जो 15000 पद विज्ञापित हुए हैं वर्ष 2014 में और इस समय अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 46000 हो गई है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 16440 हैं उनको भी उसमें जोड़ दिया जाए और उसके आधार पर यह नियुक्ति की जाए। वैसे भी आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षकों में सेवानिवृत्ति से प्रोन्नति से भी लगभग 40 हजार पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी तो नहीं हैं तो मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहूंगा कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो बेरोजगार नौजवान हैं और शिक्षा की महत्ता को देखते हुए इसमें इनको जुड़वाने की कृपा करें और सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायें। आज रोजगार देने के लिए तो दो करोड़ रोजगार मिलना था लेकिन केन्द्र से तो मिला नहीं तो राज्य सरकार ही इसमें अपनी अहम भूमिका निभाये और इन पदों को जोड़कर इन लोगों को नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, जिस बात को आप यहां नियम–56 में रखना चाहते हैं, उस पर आप यहां बोल भी चुके हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर अध्यक्ष जी, इस पर उत्तर दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपने जी0ओ0 वह कहा तो अब उस पर सरकार क्या करें ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब उसमें तो मान्यवर, मंत्री जी से ही बात करनी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात करनी होगी और यह 2 करोड़ की आपने बात कही थी, वह 100 दिन के अंदर रखने की थी, अब 100 दिन तो हो चुके अब वायदा कहां रहा। अगर 100 दिन में लोग रखवा सकते तो रखवा लेते। अब यह तो बहुत सीधे–सच्चे लोगों का देश है। 100 दिन गुजर गए 20 लाख रुपये भी गये, 2 करोड़ गये, हर घर बिजली वह भी गई। अब तो नये वादों का इंतजार कीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुग्रह नारायण जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी तो काउटिंग हो रही है, यह बात 8 को रखें ना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह एक ऐसी घटना है कि जिसने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इतिहास बनाया है। 1975 में यूज ऑफ द गर्वमेण्ट मशीनरी पर श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन सर्टिफाइड हुआ था। इस का मतलब यह नही है कि उससे वोटों को कितना फर्क पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया था यह इममैटीरियल है जिससे वोटों को कितना फर्क पड़ा। अगर गवर्नमेन्ट मशीनरी का यूज इलेक्शन प्रोसेस में हुआ है तो वह अपने आप में भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत आता है। इसलिए मान्यवर, यह पूरा इतिहास बन गया है। 1975 में इसी के कारण इमरजेन्सी डिक्लेयर हुई और उसके बाद जो स्थिति हुई वह हम सबको मालूम है, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। हम अपनी इसी बात पर रहना चाहते हैं जो यहां पर गठित हुई है। मान्यवर, आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दिनांक 15–02–2016 को बरेली, रामपुर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र जो एम0एल0सी0 का चुनाव हो रहा है उसमे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी घोषित किया गया। वह समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दिनांक 15–02–2016 को बदला गया और इस बात को यहां पर उठाने का आशय सिर्फ यही है कि आखिरकार गवर्नमेन्ट की मशीनरी,

साधन, संसाधन यह किस लिए हैं, माडल कोड आफ कन्डक्ट लागू होता है और इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी ही उसको कम्यूनिकेट करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, यह मामला तो चुनाव आयोग का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमे अनियमित्ता यह हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकाप्टर को यहां से बरेली भेजा और फार्म–ए और फार्म–बी जो चुनाव के लिए उनको अधिकार देता है कि वह अपना नामांकन वहां पर दाखिल कर सके और जब यह बात जग जाहिर हो गई तब उसका पैसा जमा कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

बस तो खत्म, उसका किराया जमा हो गया। आपको चुनाव आयोग में जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नहीं मान्यवर, खत्म नहीं। हम चुनाव आयोग में गये हैं। यह अधिकार नहीं है और पूरे प्रदेश को यह मालूम होना चाहिए कि यह सरकार किस प्रकार से गवर्नमेन्ट मशीनरी का यूज कर, गवर्नमेन्ट साधनों का यूज करके नाजायज तरीके से किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मान्यवर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यह मैटर ऐसा है कि चुनाव में माडल कोड आफ कन्डक्ट का उल्लंघन हुआ और हम यहां पर केवल इसलिए लाये कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो, निष्पक्षता और पारदर्शिता का दिन भर हम पहाड़ा पढ़ते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी से और हर बात के लिए जब उधर से जवाब आता है तो तमाम नैतिकता का लबादा उढ़ाकर हमको समझाया जाता है। मान्यवर, मै पूछना चाहता हूं कि वह हेलीकाप्टर बरेली क्यों गया और बरेली गया तो किस–किस को अधिकार है उस हेलीकाप्टर को इस्तेमाल करने का और चुनाव मे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पैसा देने के बाद क्या किया जा सकता है ? जितनी सरकारी गाड़ियां हैं वह तो जमा करा दी जाती हैं, मंत्री लोग भी अपने–अपने क्षेत्रों मे लाल बत्ती की गाड़ियों को जमा कर अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी स्तर पर अधिकार–पत्र देने हेलीकाप्टर बरेली जाता है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी जो बात आपको चुनाव आयोग में कहना चाहिए। कोड आफ कन्डक्ट तो 2014 में भी था। अब आप बैठ जाइये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब तो ले लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम तीन सवाल पूछना चाहते हैं उस हेलीकापटर को ले जाने की अनुमति किसने दी ? उस हेलीकाप्टर मे कौन–कौन अधिकारी गये थे और उस

हेलीकाप्टर को इस्तेमाल करने के लिए कितने रुपये जमा कराये गये और उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करेगी जिन्होंने चुनाव में इस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, हेलीकाप्टर का नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खन्ना जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए 2–3 बाते कहना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष–

धर्मपाल सिंह, यह सब चुनाव आयोग का मामला है यह सब शिकायतें वहां दी जाती है विधान सभा इसमें कुछ नहीं कर सकती है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वास्तव में सरकार का दुरुपयोग हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें निष्पक्षता आनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, हेलीकाप्टर गया उसमें कोई अधिकारी नहीं थे, कंडीडेट भी नहीं थे और उसका पैसा भी जमा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कोई एतराज आपत्ति होगी तो उसका भी जवाब दिया जायेगा। कोई सजा होगी तो वह भी भुगतेंगे । लेकिन मान्यवर, खन्ना साहब की और माननीय अध्यक्ष जी, जो पीड़ा है कुछ हमदर्दी इनसे भी तो रहनी चाहिए जिस बुरी तरह से यह वहां हारे हैं, अरे साहब बड़ी बुरी हार हुई है, वोट ही नहीं दिया किसी ने ।

श्री अध्यक्ष–

रिजल्ट आ गया क्या ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, आ गया। समाजवादी को मिले हैं 2285 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, कहिये तो बता दें 963 वोट, जमानत जब्त हो गयी। तो मान्यवर, यह थोड़ा सा हमें भी हमदर्दी अपने साथियों से हमदर्दी रखनी चाहिए। बड़ी बुरी हार हुई है मान्यवर, और रामपुर में तो भाजपा के साथियों ने भी हमें वोट दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जितने नाजायज तरीके थे मान्यवर, सारे के सारे नाजायज तरीके इस सरकार ने इस्तेमाल किये हैं। एक कवि ने लिखा है कि ''कभी–कभी'' तो मन करता है कि पी लूं चम्बल का पानी।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मोहम्मद आजम खां के एक साथ बोलने से व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जितने गलत तरीके, जितने गलत हथकण्डे, जितनी अनियमितताएं इस सरकार के द्वारा सम्भव थी, असम्भव थीं इस सरकार ने किये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह चुनाव आयोग का मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या जवाब दें पार्टी को, नेता बनाया और किश्ती डुबो दी। बताइये इसलिए बनाया था आपसे अच्छे तो वह थे हमारे कानपुर वाले और लक्ष्मीकान्त जी मेरठ वाले वह अच्छे रहते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनके पास तो घुमाने और भटकाने के अलावा कुछ है नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, रामपुर में भाजपा के शत–प्रतिशत वोट हमें मिले हैं, मिले हैं वोट, पड़ने नहीं दिये मिले हैं वोट, किसी को वोट ही नहीं मिला समाजवादी पार्टी के अलावा। अब ये क्या करें इन्हें जवाब भी तो देना है अपने बड़ों को, यही कह देंगे कि भाई, हम तो बहुत चीखे पुकारे अब किसी ने वोट नहीं दिया तो हम क्या करें। अब यहां वाले तो वोट देंगे नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, रात कितनी बड़ी हो सबेरा जरूर होता है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना साहब, यह चुनाव आयोग का मामला है। 2014 में भी तो चुनाव हुआ था, उस समय भी तो यही सरकार थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इनके कार्यकलापों का 2 साल का जवाब 2014 में लोक सभा में मिल गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कहां 2285 कहां 963, कहां राजा भोज कहां गंगुआ तेली।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम राजा भोज हो सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

चलिये हम गंगुआ तेली, जीते तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना साहब, आपने अपनी बात कह ली अब जो शिकायत करना हो इलेक्शन कमीशन को करिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बात वह नहीं हैं ऊपर भी तो जवाब देना है वह नहीं पूछेंगे यह हुआ क्या ? (व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हेलीकाप्टर गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा का मामला तो है नहीं काहे को विधान सभा में उठा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जो चाहें करें, इनको खांसी आ जाय तो हेलीकाप्टर चला जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हेलीकाप्टर वोट नहीं देता है, हेलीकाप्टर का वोट नहीं था, इन्हें बताइये हेलीकाप्टर वोटरलिस्ट में नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, खन्ना साहब आपने अपनी बात रख दी, सदन के संज्ञान में आपकी बात आ गयी और प्रेस में भी आपकी बात चली गयी। वोट मिलना या न मिलना उससे क्या मतलब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गवर्नमेन्ट मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है पूरे प्रदेश में अनियमितता का राज है। इस सरकार ने गवर्नमेन्ट मशीनरी को यूज करने की इंतिहा कर दी। सरकार के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है इसलिए हम और हमारा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन कर चले गये)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता, बी0जे0पी0 ने कहा कि वर्ष 1975 में मिसयूज के कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाना पड़ा था। लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय था, जिन कारणों से इन्होंने मिसयूज बताया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मिसयूज नहीं माना। एक तो श्री यशपाल कपूर जो उनके पी0एस0 थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मिसयूज नहीं माना और साथ ही साथ जो लाऊडस्पीकर वगैरह लगा था वह प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा इत्यादि में होना था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को खारिज कर दिया और आज वह निर्णय लागू नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। हम इसको देख लेंगे।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

अब आप लोग बैठिये। यह सब नहीं चलेगा। आगे बजट बहुत हैं और कल महाशिवरात्रि है, सब लोग आज जल्दी जाना चाहेंगे। श्री ललितेश त्रिपाठी जी, आपने जिस सवाल को दिया है उस पर यहां चर्चा हुई, आपकी पार्टी वेल में आई, अब यह मामला दोबारा नहीं उठ सकता है। एक बार जो उठ जाता है, वह दोबारा नहीं उठेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन सुन लीजिये। एक मामला माननीय विधायक बुधौलिया जी से संबंधित है और एक मामला श्री जय प्रकाश निषाद जी से भी संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

बुधौलिया जी का मामला हमने देख लिया है, अब आप आगे तो बढ़ने दीजिये। श्री जय प्रकाश निषाद जी जो मामला दिया था, वह आज स्वीकार नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे मामले आज थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे चौरीचौरा के माननीय विधायक श्री जय प्रकाश निषाद जी को दिनांक 19–11–2015 को पहले मोबाईल टेलीफोन से जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद कुछ लोग वहां पर सामूहिक रूप से आकर इनके कार्यालय, आवास पर बुरी तरीके से हमला कर वहां पर उपस्थित लोगों को मारा–पीटा, जितनी भी वहां पर मोटर साइकिल और गाड़ियां आदि थी, उसको बुरी तरीके से कुचला तोड़ा और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुकदमा अपराध संख्या–466/2015 धारा–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 452, 427 आई0पी0सी0 में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन इतना बड़ा नंगानाच होने के बाद भी आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मान्यवर, इसमें मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं अपने स्तर से दिखवा लूंगा। अब आप इसमें कुछ मत कहिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये वह गंभीर मामला था। आप अजय राय का दिये हैं। अजय राय के बारे में यहां सदन में उठाया, वेल में आये, बहस हुई, अलग से फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हुई, अब फिर से यह दोबारा नहीं उठ सकता है। आप मानिये, या फिर न मानिये इसको बार–बार उठाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। अगर आप इस तरह से व्यवधान करेंगे, तो फिर हमें बजट पास कराना ही पड़ेगा। यह भी कोई तरीका है।

नियम–कायदे से विधान सभा चलती है। जो मामला विधान सभा में आ चुका है, वह फिर नहीं उठेगा। अब आप जाकर सरकार में बात करिये, यह यहां नहीं उठेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, दो प्रकरण ऐसे हैं। एक तो वन रोज के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना नियम–56 के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र यादव की है, कृपया इनको दो मिनट सुन लें और एक श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी की सूचना है, इनको भी सुन ले।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम चन्द्र यादव जी का मामला तो नियम–51 में हो गया होगा। वह हमेशा सूचनायें लगाते रहते हैं, तो फिर कितनी सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत इनकी हम सुने। क्या आप आज बजट पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम बजट पर चर्चा कराना चाहते हैं। बस दो मिनट का समय दे दीजिये। एक श्री भदौरिया जी को सुन ले और एक श्री राम चन्द्र जी को सुन लें। बस।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत 84 अथवा 86 सूचनायें आई थी। मैंने सबको स्वीकार कर लिया और सब पर ध्यान आकृष्ट कर लिया है। अब आप बैठिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया हमारी बात सुन लें। यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत महत्वपूर्ण है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सोसाइटियां चली जाती हैं और डेवलपमेंट करती नहीं हैं, इस पर आप दो मिनट इनको सुन लें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोसाइटियों द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है, इनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहां विकास कार्य कराया जाना बहुत आवश्यक है।

(इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग ऐसे ही बोलो। देखिये ध्यानाकर्षण है श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया का, उ0प्र0 सरकार के सोसाइटी क्षेत्र में व्याप्त भीषण समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर ध्यान आकृष्ट किया। अगला है श्री उमाशंकर का, जनपद मऊ के ग्राम बिलौझा निवासी श्रीमती लखपति का अपहरण एवं प्रताड़ित किये जाने के संबंध में, इसको ध्यान आकृष्ट कर लिया। डा0 आर0के0 वर्मा, इनका है जनपद प्रतापगढ़ के जेठवारा–मोहनगंज मार्ग पर रेडी नहर से हैदरपुर ग्राम को जोड़ने वाली नहर की पटरी का डामरीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर ध्यानाकर्षण। इसके बाद श्री अगयश राम सरन वर्मा का जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बीसलपुर, रोहनिया अन्तर्गत महरानी अवन्ती बाई जूनियर हाई स्कूल द्वारा अनियमितितायें किये जाने के संबंध में, इस पर ध्यानाकर्षण कर लिया, इसके बाद श्री राज नारायण बुधौलिया जी का है, जनपद महोबा में भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों एवं अनेक घायलों को मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में, इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। नौवां नूर सलीम राणा का है, वह हैं, हां, जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लखनऊ–इलाहाबाद राजमार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान हुये हादसे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। श्री जय प्रकाश निषाद का नेता विरोधी दल ने मामला उठाया था, वह हमसे मिलेंगे हम उसमें जो भी होगा, सहायता करेंगे। बाकी सब अस्वीकार। अब चलो।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे–घोर व्यवधान)

आप लोग बैठो इस तरह नहीं चलेगा। अब हम नहीं मानेंगे। आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप अजय राय को लेकर कितनी बार लड़ोगे। जब से सदन चल रहा है तब से अजय राय का मामला चल रहा है। शेष अस्वीकार है, अब बाकी दूसरे दिन देना, आठ तारीख को देना।

ख12.8, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। आप नहीं मानेंगे तो पास कराऊं बजट।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं सभी मदें पढ़े देता हूं।

अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एंव श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,43,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंकज मलिक जी चलिये आपको कटमोशन रखना है। चलिये कटमोशन रखिये, कटमोशन रखिये। ऐ डाक्टर, वह कटमोशन रखना चाहते हैं आपको गोरखपुर जल्दी जाना है आप इनको फिर भेज दिये। वह जा रहे थे कटमोशन रखने, मैं आपकी सब हरकत देख रहा हूं। चलिये वहां चलिये। आप कटमोशन रखेंगे कि नहीं। आप कटमोशन नहीं रखेंगे तो मैं बजट पास कराता हूं। अब नहीं मानेंगे। आप चलिये न रखिये खनिज विभाग पर।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य लगातार अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

डा0 क्या बला हो, वह बेचारे कटमोशन रखने जा रहे थे उनको पकड़ लाये। ले जाओ इनको अनुग्रह नारायण, आप सीनियर मेम्बर हो। इन्हें कटमोशन तो रखवाओ। अरे पंकज मलिक कटमोशन रखो। अरे यह खनिज बड़ा विभाग है आप लोग इसमें रोज चर्चा करते हो और जब चर्चा करने का समय आया तो वेल में कूदकर चले आये। अब चलो। पास करायें। ठीक है जब आप लोग की इच्छा है तो हम पास कराये देते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पंकज कुमार मलिक को कटौती रखने हेतु आसन पर वापस जाने का आग्रह करने पर वे अपने आसन पर वापस नहीं गये और जोर–जोर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,43,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (सदन के वेल से)–

मान्यवर, मेरा मामला सोयासटी का है क्योंकि सोसायटी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। यह गरीबों का मामला है, वहां कोई सुविधाएं नहीं हैं, सड़के नहीं हैं लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस मामले को कितनी बार उठायेंगे, अब आप सभी लोग अपने आसन पर जाएं, अब कुछ और नहीं सुनेंगे। मा0 मंत्री जी, आप बजट रखें।

अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सॅख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,15,12,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

डॉ0 आर0के0 वर्मा आप कट–मोशन रखें। आप लोग वेल में आराम से बैठ जाओ, आप लोग महाशिवरात्रि के चक्कर में जल्दी घर जाना चाहते हो इसीलिए यह कर रहे हो, मुझे सब पता है।

डा0 आर0के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,15,12,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से चले गये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59,56,54,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर

एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)–

हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, हम इसका आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठो, हम बुलाकर बात करेंगे। आप लोग अपने आसन पर चलें, इसे हो जाने दो उसके बाद हम मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला करके बात कर लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, ये लोग जब वेल में आ जाते हैं तो जाते नहीं हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)–

मान्यवर, मंत्री जी तो तैयार हैं आश्वासन देने के लिए। सरकार का आश्वासन था कि 10 दिन में।

श्री अध्यक्ष–

आप वह मत दिखाओ मैं बहुत देख चुका हूं। जब मैंने कह दिया कि अभी हो जाने दो, शाम को पांच बजे मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को और आप लोगों को बैठा करके बात कर लूंगा।

श्री प्रदीप चौधरी (सदन के वेल से)–

मान्यवर, चर्म रोग से बच्चे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, इसको देख तो लीजिए।

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)–

मान्यवर, अब तो मा0 नेता सदन भी आ गये हैं इन्होंने कहा था कि इसे गम्भीरता से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

तो क्या करें, हम अपना काम न करें। आप दिन भर अजय राय का मामला उठाते रहेंगे। अब आप शान्ति से बैठें, हमें भी अपना काम करने दें। गम्भीर मामला आपका पता है, रोज आप गम्भीर मामला लाते हैं, यह सदन के बजट से ज्यादा गम्भीर नहीं है, आप अपने आसन पर चलें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59,56,54,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48,58,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं होना है, इसलिए इस पर कटमोशन नहीं रखा जाना है तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48,58,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

भा0ज0पा0 के साथ हाथ न मिलाईये। कांग्रेस और भा0ज0पा0 का यह गठजोड़ चुनाव में नुकसानदेह होगा। इनकी मत मानना ये तो ले जाकर डुबो देंगे।

श्री अध्यक्ष–

राजनैतिक पेंशन मंत्री जी प्रस्ताव रखिये।

अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,14,81,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर भी विवाद नहीं है। इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(इसी बीच भा0ज0पा0 के श्री सुरेश राणा वेल में आ गये।)

श्री सुरेश राणा (वेल से)–

मा0 अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग और समाज कल्याण जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण बजट आज है इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराईये।

श्री अध्यक्ष–

इनको समझाओ न, मैं तो चाहता हूं कि सभी बजट प्रस्तावों पर चर्चा हो, ये नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

अध्यक्ष जी, ये सिर्फ दादागिरी दिखाना चाहते हैं। मान्यवर, सरकार का आश्वासन था तो यह बताया जाना चाहिए कि क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,14,81,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,95,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,95,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–22–खेल विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,51,27,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(कतिपय सदस्यों के सदन के वेल से बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर विवाद नहीं है इसलिये कट मोशन भी नहीं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,51,27,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,86,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं है, इसलिये कट मोशन भी नहीं। इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,86,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कतिपय सदस्यों के सदन के वैल में बैठ कर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अरे आप इनको समझाते क्यों नहीं, आप नेता हैं। क्या करें, निकालें ? अभी तक किसी को निकाला नहीं, इनको निकालें। क्या स्थगित कर दें।

अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,41,84,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, आप कटौती रखिये ना। मंत्री जी ने रख दिया है। क्या करें अब निकालें। अभी तक किसी को निकाला नहीं है।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी आप कटौती रखिये, रख दिया आपने ? ठीक है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,41,84,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)– मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,59,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विवाद है पर्यावरण पर। राजेश त्रिपाठी जी आप कट मोशन रखिये।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, बहुत ध्वनि प्रदूषण है कैसे रखें।

श्री अध्यक्ष–

रख तो दीजिये यह नहीं मानेंगें। सुबह से लड़ रहे है। आप रखिये न प्रस्ताव। अच्छा प्रस्ताव रख दो हम सुन रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इन लोगों को समझाइए आप लोग नेता हैं अपने स्थान पर जाएं। राजेश त्रिपाठी जी आप कट मोशन रखिए।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,59,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 46,14,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च,2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 46,14,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,41,27,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,41,27,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख्मद संख्या–28(13) पुकारे जाने पर।,

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी यह जो नगर विकास का बजट है इस पर यह लोग बहस करना चाहते है। आप अपनी तरफ से कुछ कह देंगे तो यह उठकर चले जाएंगे। यह थक गए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह थकते नहीं हैं यह सब जवान लोग हैं। यह आ जाते हैं तो फिर जाते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

नगर विकास पर बहस करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर नगर विकास में तो इतना काम हुआ है कि इतिहास में नहीं हुआ होगा और खासतौर से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो कहेंगे वह कर देंगे लेकिन रहें यहीं।

(सदस्य श्री पंकज कुमार मलिक सदन के फ्लोर से हमारी बात को मजाक में लिया जा रहा है।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सब लोग नगर विकास पर चर्चा चाहते हैं आप पांच लोग मिलकर व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जवान बच्चों को डांटा नहीं जाता है।

श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

हम यहीं बैठे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

तो फिर चर्चा कैसे होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, खबर तो ऐसे ही बनेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(12 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और 'रिहा करो–रिहा करो, अजय राय को रिहा करो' के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलें। अरे, माइक ले आओ, तब बोलो।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जोर–जोर से नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

अरे, अब चलते–चलाते, इतने दिन हो गये, नहीं किया, अब आप लोग अपने स्थानों पर चलिए। यह लोग नहीं मान रहे हैं, नगर विकास मंत्री जी, आप बजट रखिए।

(व्यवधान के मध्य)

ख12.51, अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37–नगर

विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 82,67,79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय असीजा जी, इस पर कटमोशन रखिए।

(सदस्य, श्री मनीष असीजा के उपस्थित न होने पर)

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी, इस पर मैं कटमोशन रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस पर मैं दो मिनट में अपनी बात रख दूं।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, इतने व्यवधान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। कैसे आप अपनी बात रखेंगे ? मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 82,67,79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,55,96,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कटमोशन रखिए।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,55,96,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

वन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,57,38,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,57,38,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,15,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,15,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 44,26,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 44,26,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन के वेल में पहले से उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति जारी रही।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,93,48,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,93,48,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,96,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,96,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 47,56,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 47,56,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,66,78,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,66,78,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28,09,08,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28,09,08,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,34,25,12,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,34,25,12,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,73,99,48,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,73,99,48,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,88,75,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,88,75,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,78,83,64,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,78,83,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 37,39,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 37,39,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,20,97,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,20,97,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,42,64,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,42,64,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,54,08,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सूचना विभाग पर कटौती प्रस्ताव कौन रखेगा, कोई नहीं।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,54,08,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री राजेश त्रिपाठी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका सूचना विभाग पर कटौती का प्रस्ताव था, वह अब हो गया, जब मैं प्रस्तुत करने के लिए कह रहा था तब आपने रखा नहीं, मैं आपको खोज रहा था, आप नहीं थे, आप पूछ लीजिए। मैंने पूछा था कि सूचना विभाग पर कटौती कौन रखेगा, तब आप बोले नहीं। अब बैठिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या–29, नियम–51

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 06–03–2016 को नियम–51 की कुल 91 सूचनाएं प्राप्त हुईं। सारी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया और सारी 91 सूचनाएं स्वीकार हुईं लेकिन अब दिनांक 08–03–2016 को नियम–51 की सूचनाएं नहीं ली जाएंगी।

ख्ा.12, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 06–03–2016 को नियम–51 के कुल 91 सूचनायें प्राप्त हुईं। सारी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया और सारी 91 सूचनाएं स्वीकार हुईं लेकिन अब दिनांक 8–03–2016 को नियम–51 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री जन्मेजय सिंह	जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां स्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा घोर भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री ओम कुमार	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
क्र0सं0	नाम	विषय
4	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्युत उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित संस्थान द्वारा उ0प्र0 के ड्राइवरों को परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री प्रभूदयाल वाल्मीकी	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में प्रतिवर्ष आने वाली गंगा की बाढ़ की रोकथाम कराये जाने के

		सम्बन्ध में।
7	श्री आशीष कुमार यादव	प्रदेश के राजस्व अनुभाग–6 की शिथिल कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में।
8	श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर	जनपद लखनऊ निवासी श्री मोमिन, इंजीनियर, रिलांयस द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
9	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत आंवला–कुमार गांव मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री राजीव गुम्बर	जनपद सहारनपुर नगर में रोडवेज व प्राइवेट बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
11	श्री जय प्रताप सिंह	लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत बनारसीदास वार्ड में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	डा0 अरुण कुमार	जनपद बरेली अन्तर्गत लेबर कालोनी में निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।
13	श्री सत्यवीर मुन्ना	जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री ममतेश शाक्य	जनपद कासगंज अन्तर्गत ग्राम मोहनपुरा में मटर के सुव्यवस्थित व्यापार हेतु उप मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री गेंदा लाल चौधरी	उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री बृजेश कुमार	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम के कतिपय क्षेत्रों के चकरोडों एवं चारागाहों के लिए छोड़ी गयी भूमि पर कतिपय कृषकों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
18	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अस्पतालों में स्थापित विभिन्न उपकरणों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री मो0 इरफान	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के

		अन्तर्गत बेरनी शिव मंदिर तथा तिसावा दरगाह का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	डा0 रमेश चन्द बिन्द	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा मझवां अन्तर्गत सरैया पुल से परवराज घर तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री रविदास मेहरोत्रा	आपातकाल में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सुविधाओं को जारी रखने के सम्बन्ध में।
22	श्री सलिल विश्वनोई	प्रदेश में कार्यरत होमगार्डों का वेतन भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन अन्तर्गत दुबारीकाली चौरा से मुड़ाडाड़ मनियर तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री मो0 इरफान सोलंकी	जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के नगर पंचायत कटघर लालगंज हनुमानगढ़ी में स्थित सार्वजनिक कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री उदय राज	डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर बरेली द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री अन्सार अहमद	जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत रंजीत पण्डित इण्टर कालेज में कार्यरत श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को उनके कार्य के अनुरूप वेतन का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद लखीमपुर खीरी व हरदोई में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की नियुक्ति में शासनादेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के वित्त नियंत्रक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद मेरठ महानगर में अवैध रूप से संचालित कमेलों में गोकसी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय

31	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा नहर प्रणाली के निरीक्षण भवन आदि में अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
32	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर अन्तर्गत ग्राम बिजनौर में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
33	श्री राकेश प्रताप सिंह	सचिवालय विधान परिषद्, राजस्व परिषद, विधान सभा एवं उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री राम सिंह	उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0, लखनऊ में कार्यरत फील्ड आफीसर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री संजय प्रताप जयसवाल	उ0प्र0 सरकार के सहकारी बैंकों को सहयोग प्रदान कर पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री राजबली जैसल	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत विकास खण्ड महुली ग्राम में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
37	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में सिकन्दरपुर चौराहा होते हुये हरदीया सिंवानकला तक नहर के दोनों तरफ पक्की लाईनिंग बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री विनय तिवारी	उ0प्र0 सचिवालय के श्रम अनुभाग–2 में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
39	श्री अविनाश कुशवाहा	जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के थाना सतरिख निवासी श्री आशीष कुमार की डूबकर हुई मृत्यु के उपरान्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के ब्लाक रामनगर अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा व डांडा से कुल्हाड़ा मोड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री सिनोद कुमार शाक्य	जनपद बदायूं की तहसील दातागंज, पोस्ट अभिगांव, ब्लाक म्याऊ निवासी अत्यंत निर्धन मजदूर श्री

जगन्नाथ सिंह को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
43	श्री अनूप कुमार गुप्ता	जनपद सीतापुर के ब्लाक एलिया में 33/11 केवीए का विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री राधेश्याम जायसवाल	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री दीपक पटेल	जनपद इलाहाबाद तहसील बारा के लखनपुर में रकबा संख्या 263, 264 पर बने नाले को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री नदीम जावेद	जनपद जौनपुर में बख्शा से लोहिन्दा वाया तेजीबाजार तक लगभग 20 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री धर्मेश सिंह तोमर	जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर में वर्ष 1965 में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि पर अवैध संस्थान चलाये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	जनपद वाराणसी के विद्यापीठ ब्लाक के गांव भगवानपुर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री रविन्द्र जायसवाल	वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के संजय नगर, संजय अपार्टमेंट के पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री संत प्रसाद	जनपद इलाहाबाद के परगना केवाई तहसील हंडिया के ग्राम सभा बसगित में छूटे 15 फिट के रास्ते पर खड़ंजा लगाये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री पंकज गुप्ता	जनपद उन्नाव शहर की परिसीमा में तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्रीमती माधुरी वर्मा	जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत श्री जंगली बाबा के मन्दिर में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री रामवीर उपाध्याय	जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम बाण, बोनाई होते हुये ग्राम मोहब्बतपुरा की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

54	श्री गुटियारी लाल दुबेश	जनपद आगरा के सदर कैण्ट अन्तर्गत ताजमहल के निकट पटरी दुकानदारों को साप्ताहिक बाजार हेतु स्थान सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री हाजी परवेज टंकी	जनपद लखनऊ में भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
56	श्री दिलनवाज खां	जनपद हरदोई के विद्युत केन्द्र मल्लावां में सहायक के पद पर कार्यरत श्री संदीप कुमार द्वारा अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्रीमती पूजा पाल	सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों को पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्रीमती सीमा	जनपद जौनपुर के मडियाहूं नगर स्थित सदरगंज (पाल बस्ती) में राजेश कुमार केसरी के मकान को जबरदस्ती नियम विरुद्ध खाली कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	डा0 आर0 के0 वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथ के कतिपय ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 ईसानगर अन्तर्गत हसनपुर कटौली से शेखपुर होते हुये सिंगावर तक पक्की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री जय प्रकाश निषाद	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा पद रहते हुये अपने सगे सम्बन्धियों को गलत तरीके से उच्च पदों पर नियुक्त कराकर लाभ दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
62	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में नयी सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
63	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा में टी0टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत चल रही धांधली की जांच कराये जाने तथा आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अवशेष 125 नग टी0टी0एस0पी0 टंकियां लगाये जाने के सम्बन्ध में।
64	श्री सतीश महाना	साइकिल के स्टैड, चैनकवर आदि पार्ट्स के स्थान पर एसेसरीज मानकर पार्ट्स 04 प्रतिशत दर से कर आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री मो0 जासमीर	जनपद सीतापुर के वि0ख0 बेहटा सकरन परसेण्डी के

	अन्सारी	अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
66	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	सरकार द्वारा भूतपूर्त सैनिक सीताराम सिंह आदि को दी गयी भूमि को राजस्व अभिलेखों में उनका एवं उनके वारिसों का नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री बब्बन सिंह चौहान	मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा केशवपुर वार्ड नं0–2 शास्त्री नगर पंचायत चन्दौली के प्राइमरी पाठशाला के जर्जर भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
68	श्री गजेन्द्र सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के जहांगीराबाद व अनूपशहर में रोडवेज डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में।
69	श्री गया चरण दिनकर	जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के ग्राम बिदुवापुरवा (बिल्हरका) पम्प कैनाल का निर्माण एवं केन नहर प्रणाली को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।
70	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में सीवर लाइन न होने के सम्बन्ध में।
71	डा0 सियाराम सागर	जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी के खैरीपुरवा पो0 औदहा थाना पहाड़ी में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)	जनपद उन्नाव के तह0 पुरवा के ग्राम सभा लच्छीखेड़ा के लगभग 150 भूमिहीनों एवं गरीबों के पट्टे को धारा–33/39 के तहत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री शिवचरण प्रजापति	जनपद हमीरपुर के ग्राम कैथी से जनपद बांदा कुटी डेरा तक की 5 किमी0 की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत उमरीकला में पी0एच0सी0/अरबन हेल्थ सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री योगेन्द्र उपाध्याय	जनपद आगरा दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र स्थित कालोनियों एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद लखनऊ के तह0 सदर अवध विहार योजना में लगाये गये विकास शुल्क को वापस लेने के सम्बन्ध

		में।
77	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
78	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा ओमेक्स कनाट प्लेस नाम से बीटा प्प ग्रेटर नोयडा में बनाये जा रहे शापिंग माल का आवंटन 2005 में करने के उपरान्त अभी तक कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के कतिपय ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
80	श्री बृजेश वर्मा	जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
81	श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के थाना पी0जी0आई0 में तेलीबाग के सुभाष नगर में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
82	श्री कुलदीप सेंगर	जनपद देवरिया स्थित श्री रामचन्द्र इन्टर कालेज की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री अमर द्विवेदी के वर्ष 2010 से 2013 तक बकाये वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
83	श्री कुं0 कौशल सिंह	अन्य बारह राज्यों की भांति उ0प्र0 के भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को ओ0बी0सी0 में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
84	श्री मो0 रेहान	उ0प्र0 पुलिस/पी0ए0सी0 में नियुक्त आरक्षी के पद के बाद प्रोन्नत के पद एवं ग्रेड पे न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
85	श्री सुरेश बंसल	जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0 3 सुदामापुरी लाल क्वार्टर में पानी की निकासी हेतु नाले की मरम्मत व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
86	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भवनापुर में बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात राजपत्रित अधिकारी की गृह जनपद में अनियमित तैनाती एवं उनके द्वारा किये

		जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
87	डा0 रश्मि आर्य	जनपद लखनऊ कैन्ट स्थित दुर्गापुरी कालोनी निलमथा में आशीष जनरल स्टोर के सामने लगे रिलायंस 4जी टावर को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।
88	श्री गयादीन अनुरागी	प्रदेश सरकार के समस्त विभागों में तैनात आशुलिपिक के न्यूनतम वेतनमान ग्रेड पे 4200 दिये जाने के सम्बन्ध में।
89	श्रीमती पूनम सोनकर	लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आश्रयहीन बसन्तकुंज योजना, हरदोई रोड में रहने वाले आवंटियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
90	श्री विनोद सरोज	जनपद सुल्तानपुर परिवहन डिपो की बस सेवा सुल्तानपुर बिंदेश्वरीगंज, हालियापुर, लखनऊ एवं कानपुर के सफल संचालन में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
91	श्री अमर पाल शर्मा	गाजियाबाद के खोडा कालोनी में अवैध रूप से शराब एवं गांजे की खुली बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में।

जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्रीमती रूबी प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 26–02–2016 को दी गयी सूचना .....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के द्वारा यह मांग की गयी कि ''मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। जनपद सोनभद्र 6500 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जनपद सोन नी के उस पार दुद्धी तहसील राबर्ट्सगंज का आंशिक हिस्सा में ज्यादा गरीब–कमजोर व निरीह लोग रहते हैं, जिनका आदिवासी संस्कृति है, आजादी के 68 साल बाद भी वह पुरानी संस्कृति व प्रथा में रहते हैं, क्योंकि मुख्यालय से दूरी एक किनारे से लगभग 180 किमी0 है। गरीबी के कारण वे सब मुख्यालय पर नहीं आ–जा सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आज भी गरीबी में जीवनयापन करते हैं। सोनभद्र के सोन नदी के उस पार हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व वही देता है। सोन नदी के उस पार का क्षेत्र 3400 वर्ग किमी0 है। मिर्जापुर से अलग होने के बाद 15 जुलाई, 1994 मा0 मुलायम सिंह यादव दुद्धी तहसील के पिपरी में सोनभद्र के जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया था। छः माह तक जिलाधिकारी व सारे कार्यालय कार्य किये हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने एवं जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील को जिला बनाने की शीघ्र कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूं।''

2–इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 03–03–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या–एम0आर0 340/92–रा0–5, दिनांक 20 अक्टूबर, 1992 के अनुसार नया जनपद स्थापित करने हेतु 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख, न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी0, तहसीलों की न्यूनतम संख्या–03, विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या–10, थानों की न्यूनतम संख्या–12 एवं लेखपालों की न्यूनतम संख्या–300 निर्धारित है। जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी में आबादी–663563, भौगोलिक क्षेत्रफल–191914 हे0 (1919.14 वर्ग किमी0), तहसील की संख्या–01, विकास खण्डों की संख्या–03, थानों की संख्या–09 एवं लेखपाल क्षेत्रों की

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या–143 पायी गयी, जो निर्धारित मानक से कम है। जिलाधिकारी, सोनभद्र के उक्त पत्र दिनांक 03–03–2016 के क्रम में राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 04–03–2016 के द्वारा मंडलायुक्त, विंध्याचल मण्डल, मिर्जापुर से उनका अभिमत/मंतव्य मांगा गया है।,

जनपद जौनपुर अन्तर्गत लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के एक निश्चित क्षेत्र की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती श्रद्धा यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, लोक महत्व विषयक पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर .....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्लगभग 5600 वर्ग किमी0 में फैला हुआ है। यह जनपद लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ बसा हुआ है। लुम्बिनी दुद्धी मार्ग से बालू और गिट्टी से लदी ट्रकों का रातोदिन आवागमन है, जिससे लुम्बिनी दुद्धी मार्ग क्षतिग्रसत हो जाता है। जिसके कारण आवागमन में कठिनाई होती है लुम्बिनी दुद्धी मार्ग किमी0 240 से किमी0 278 तक हमेशा खराब हो जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व विषय विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर के अन्तर्गत लुम्बिनी दुद्धी मार्ग को किमी0 240 जौनपुर से किमी 278 भदोही तक 4 लेन बनाने की शीघ्र कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूं।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि लुम्बिनी से निकलकर दुद्धी को जाने वाला मार्ग राज्य मार्ग सं0–5 (किमी0 193 से किमी0 280 तक) 87.00 किमी0 तक का भाग जनपद जौनपुर के अन्तर्गत है। जौनपुर शहर किमी0 237 से किमी 241 में स्थित है। जौनपुर से भदोही सीमा तक किमी0 241 से किमी 280 तक का भाग पूर्णतया गड्ढामुक्त एवं यातायात योग्य है। वर्तमान में मार्ग के किमी0 248 (चैनेज 247.00 से 248.00 तक), 249 (चैनेज 248.00 से 249.00 तक), 250 (चैनेज 249.00 से 250.00 तक), 252 (चैनेज 251.00 से 252.00 तक), 253 (चैनेज 252.00 से 253.00 तक), 261 (चैनेज 260.00 से 261.00 तक), 262 (चैनेज 261.00 से 262.00 तक), 263 (चैनेज 262.00 से 263.00 तक), कुल लम्बाई 8.00 किमी0 का भाग नवीनीकरण हेतु निर्धारित चक्र में आने

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के कारण इस भाग में एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण हेतु रु0 167.44 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

किमी0 242 से 280 तक (जौनपुर शहर से भदोही बार्डर तक) मार्ग पर यातायात गणना के अनुसार पी0सी0यू0 16115 है, जो चार लेन निर्माण हेतु निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं करता है।,

जनपद उन्नाव की नगर महापालिका के कतिपय क्षेत्रों में इण्टरलाकिंग टाइल्स सहित कई अन्य व्यवस्थायें किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरन प्रजापति द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री शिवचरन प्रजापति, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26–02–2016 को नियम–51.....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उन्नाव जनपद के किशोरी खेड़ा महापालिका के अन्तर्गत सिविल लाइन रोड के शिवराम यादव के मकान से सन्तोष के मकान से होते हुए अशोक यादव के मकान तक, आने जाने में कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त सड़क को आर0सी0सी0 या इण्टरलाकिंग बनाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–प्रश्नगत मामले में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, उन्नाव द्वारा वार्ड सं0 16 स्थित मो0 किशोरी खेड़ा, उन्नाव में श्री शिवराम यादव के मकान से सन्तोष के मकान से होते हुए अशोक यादव के मकान तक आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराकर प्राथमिकता पर करा दिया जायेगा।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गोमती नदी पर सरोज बड़ेवर घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत जौनपुर .....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के सम्बन्ध में अवगत कराना पड़ रहा है कि क्षेत्रीय लोगों को तहसील मुख्यालय पर आने के लिये अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। सरोज बड़ेवर घाट पर सेतु निर्माण हो जाने से लगभग 100 गांवों के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। पुल का अतिशीघ्र निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः आग्रह है कि जनहित में गोमती नदी के सरोज बड़ेवर घाट पर सेतु निर्माण कराने हेतु सरकार से नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

वक्तव्य–

प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में 7.00 किमी0 की दूरी पर 7 ग 28.25 मी0 दर व्यवस्था का सेतु निर्मित है एवं डाउनस्ट्रीम में 6.50 किमी0 की दूरी पर 7 ग 28.25 मी0 दर व्यवस्था का सेतु निर्माणाधीन है। इस प्रकार प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 10.00 किमी0 से कम की दूरी पर दीर्घ सेतु स्थित है।

अतः लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम में नियत दूरी से कम दूरी पर पुल की व्यवस्था विद्यमान होने के दृष्टिगत प्रस्तावित सेतु निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं करता है।,

उत्तर प्रदेश के धार्मिक क्षेत्र नैमिषारण्य का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जासमीर अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, उ0प्र0 की नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर.....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्वेदों और पुराणों की रचना की गयी। नैमिषारण्य की पवित्र धरती हजारों ऋषियों की तपस्थली रही है। यहां पर हर वर्ष होने वाली 84 कोसी परिक्रमा का उल्लेख वेदों में मिलता है। 15 दिनों तक चलने वाली इस परिक्रमा में देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धालुओं के साथ ही साथ नेपाल और मॉरिशस से भी श्रद्धालु शामिल होते हैं। नैमिषारण्य पवित्र धरती पर कई प्राचीन मठ एवं मंदिर स्थापित हैं। इसके उपरान्त भी यह पवित्र धरती पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह नहीं बना सकी है। क्षेत्रीय जनता द्वारा नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर स्थापित प्राचीन मठ एवं मंदिरों को संरक्षित किये जाने एवं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने हेतु समुचित आवासों, बिजली, पानी के बेहतर इंतजाम किये जाने, आवागमन के साधन बढ़ाये जाने तथा सीतापुर से नैमिषारण्य की पवित्र धाम तक के मुख्य मार्ग को फोर लेन डिवाइडर युक्त बनाये जाने हेतु कई बार स्थानीय प्रशासन एवं सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता एवं श्रद्धालुओं में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।''

उक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसकी महिमा पुराणों में वर्णित है। यह स्थल चक्रतीर्थ के नाम से भी विख्यात है। जनश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नेत्र की आभा। नैमिषारण्य क्षेत्र में कई प्राचीन मठ एवं मन्दिर स्थापित हैं जिसमें चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, हनुमान गढ़ी, ललिता देवी मन्दिर, कालीपीठ आदि प्रमुख हैं।

यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु, पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्थलों पर केन्द्र सेक्टर व राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्य कराये जा रहे हैं, जिनकी सूचना निम्नवत् है–

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन धनराशि रु0 लाख में	वित्तीय प्रगति धनराशि रु0 लाख में	भौतिक प्रगति	कार्य का विवरण/ अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद–सीतापुर	2011–12	295.79	220.50	90	**रेलवे स्टेशन वाली**

	में नैमिषारण्य का पर्यटन विकास एवं अवशेष कार्य–बाउण्ड्रीवाल, पाथ–वे, विद्युत सम्बन्धी कार्य				प्रतिशत	**<u>सड़क पर</u>** 1. प्रवचन हाल (268.84 वर्ग मी0)–99 प्रतिशत। 2. श्रद्धालु हाल (200 वर्ग मी0)–100 प्रतिशत 3. ट्वायलेट ब्लाक (120 वर्ग मी0)–100 प्रतिशत **<u>अयोध्या धाम</u>** 1. अयोध्या धाम में श्रद्धालु शेड (120 वर्ग मी0)–100 प्रतिशत काशीकुण्ड 1. काशीकुण्ड में श्रद्धालु शेड (120 वर्ग मी0)–100 प्रतिशत 2. कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य–100 प्रतिशत **<u>चक्रतीर्थ</u>** 1. चक्रतीर्थ में सैल्फ एरियेसन सिस्टम की स्थापना–100 प्रतिशत **<u>लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के निकट</u>** 1. एक नग ट्वायलेट ब्लाक

						का निर्माण–40 प्रतिशत
2	नैमिषारण्य में व्यास गद्दी जाने वाले मार्ग पर चक्रतीर्थ के समीप सुलभ प्रसाधन का निर्माण	2015–16	22.21	17.90	80 प्रतिशत	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा अन्तर्गत
3	जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ के दशाश्वमेघ घाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार का कार्य	2015–16	329.59	164.00	50 प्रतिशत	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा अन्तर्गत
4	जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ के राजघाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार का कार्य	2015–16	221.39	110.00	50 प्रतिशत	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा अन्तर्गत

प्राचीन मन्दिरों एवं मठों को संरक्षित करने की पृच्छा के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा स्थल पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ मूलभूत सुविधाओं के विकास का कार्य ही कराया जाता है। आवासीय व्यवस्था के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु काशी कुण्ड, अयोध्या धाम एवं श्री अनूप गुप्ता, मा0 विधायक की डेरी के बगल में स्थित सत्संग भवन पर आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है। बिजली, पानी एवं मार्ग की व्यवस्था आदि का कार्य पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।,

जनपद मथुरा की सहकारी चीनी मिल छाता को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने अपनी सूचना में उल्लेख किया है कि जनपद मथुरा में....

.

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्एक मात्र सहकारी चीनी मिल छाता बन्द पड़ी है। यह मिल आगरा मण्डल की एकमात्र चीनी मिल है। इस चीनी मिल पर पूरे जनपद के किसान अपना गन्ना देते थे। यह चीनी मिल पिछले लगभग 5 साल से बन्द पड़ी है। जिसके कारण गन्ना किसान परेशान है। गन्ना किसान आन्दोलित हो रहे हैं। सरकार के बार–बार आश्वासन के बावजूद भी इस चीनी मिल को संचालित नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है। गन्ना किसानों के हित में इस चीनी मिल को चलाया जाना अति आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के अधीन छाता शुगर कम्पनी लि0 छाता, जनपद मथुरा की स्थापना वर्ष 1978 में हुई। मिल स्थापना के समय इसकी पेराई क्षमता 1250 टी0सी0डी0 थी। वर्ष 1991–92 में इस मिल का विस्तारीकरण 2500 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता पर किया गया। छाता चीनी मिल क्षेत्र में पेराई सत्र 2004–05 से 2008–09 तक क्षमतानुरूप गन्ने की उपलब्धता न होने तथा वित्तीय घाटे (दिनांक 31–03–09 तक कुल संचित घाटा रु0 8077. 47 लाख) को दृष्टिगत रखते हुए चीनी मिल को पेराई सत्र 2009–10 से संचालित न किए जाने का निर्णय लिया गया तथा मिल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गयी। मिल के सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल साथा, जनपद–अलीगढ़ को ब्यावर्तित कर दिया गया है।

छाता चीनी मिल की अधिकांश प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थिति वर्तमान में अत्यन्त जर्जर एवं स्क्रैप के रूप में है जिसे वर्तमान स्थिति में चलाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में शासन द्वारा प्रदेश हित में रोजगार का सृजन करने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, गन्ना किसानों के उत्थान और अन्ततः क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के दृष्टिगत चीनी निगम की छाता चीनी मिल की भूमि को दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता/विकासकर्ता को देकर इन्टीग्रेटेड काम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में निगम द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गयीं परन्तु निविदादाताओं द्वारा कोई रुचि नहीं दिखायी गयी। वर्णित स्थिति में वर्तमान में चीनी मिल का संचालन सम्भव नहीं है।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में उत्तराखण्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति रोके जाने के कारण नये उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि उत्तरांचल राज्य के बार्डर पर.....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्स्थित उत्तर प्रदेश की तहसील–विलासपुर के निम्नलिखित ग्रामों–सुआनगला, करतारपुर, हजरतपुर, बीहट, खानपुर, चांदपुर आदि की विद्युत आपूर्ति रुद्रपुर फीडर जनपद–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड से होती है तथा अक्सर उत्तराखण्ड के विद्युत विभाग के कर्मचारी यहां की विद्युत आपूर्ति काट देते हैं जिससे यह क्षेत्र अन्धकार में हो जाता है। यहां के क्षेत्रवासियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए अलग से एक 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम–चांदपुर, तहसील–विलासपुर, जनपद–रामपुर में निःशुल्क भूमि उपकेन्द्र बनाने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है तथा इसका प्रस्ताव काफी लम्बे समय से शासन में लम्बित है, किसानों को विद्युत आपूर्ति 4 से 6 घण्टे ही मिल पा रही है जिससे किसानों की फसल चौपट हो रही है। यहां पर विद्युत उपकेन्द्र न बनने से क्षेत्र की जनता में काफी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि कृषक हित में अविलम्ब उपरोक्त स्थान पर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना नहीं करायी गयी तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

आख्या–

वर्तमान में तहसील बिलासपुर, जनपद–रामपुर के उत्तराखण्ड राज्य से लगे हुए बार्डर पर स्थित ग्राम क्रमशः सुआनगला, करतारपुर, हजरतपुर, बीहट, खानपुर, चांदपुर, अटलरी, बिढवानगला एवं फूलपुर आदि को उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–रुद्रपुर में स्थित 33/11 के0वी0 भदईपुर उपकेन्द्र के 11 के0वी0 फीडर बिलासपुर से विद्युत आपूर्ति की जाती है जिस पर अधिकतम भार 175 एम्पीयर है। उक्त ग्रामों से इस प्रदेश का निकटतम 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र डिबडिबा (2ग5 एम0वी0ए0) स्थित है। यह उपकेन्द्र वर्तमान में अतिभारित है जिसकी क्षमतावृद्धि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 2ग5 एम0वी0ए0 से 10+5 एम0वी0ए0 स्वीकृत है। क्षमतावृद्धि का कार्य नवम्बर

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2016 तक पूर्ण कर इस उपकेन्द्र के 11 के0वी0 अटलरी पोषक से संदर्भित ग्रामों को जोड़कर विद्युत सुचारु कर दी जायेगी।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली व मिल्कीपुर को जोड़ने वाले मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी

सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद, विधान सभा क्षेत्र रुदौली.....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। केवल वक्तव्य संलग्न है)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्व मिल्कीपुर को जोड़ने वाला मार्ग रुदौली से अमानीगंज व अमानीगंज से मिल्कीपुर दो तहसीलों को जोड़ने वाला जनपद का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर एवं यात्री रेलवे स्टेशन रुदौली व रोडवेज की बसों पर यात्रा करने के लिए भेलसर आते हैं। यह मार्ग तहसील रुदौली, थाना रुदौली, ब्लाक रुदौली को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग की स्वीकृति 17 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व हुई थी परन्तु अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण आधा–अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरे भाग की स्वीकृति 6 माह पूर्व जारी हुई परन्तु अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया। लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 फैजाबाद के अधिकारियों की उदासीनता के चलते 26 किमी0 लम्बाई का यह मार्ग अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग के अधूरे भाग का निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

वक्तव्य–

रुदौली से अमानीगंज मार्ग–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रुदौली से अमानीगंज तक मार्ग की लम्बाई 8.20 किमी0 है जो अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 03–11–2015 द्वारा रु0 690.79 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक कुल रु0 69.00 लाख का आवंटन

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति में है। शेष कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

मिल्कीपुर से अमानीगंज मार्ग–

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मिल्कीपुर से अमानीगंज तक मार्ग की लम्बाई 17.50 किमी0 है जो अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 24–02–14 द्वारा लागत रु0 2907.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत लागत के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में रु0 581.00 लाख, वर्ष 2014–15 में रु0 1200.00 एवं वर्ष 2015–16 में रु0 1000.00 लाख अब तक कुल रु0 2781.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 16 किमी0 में कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत दिनांक 26–02–2016 को यह सूचना दी गई है कि .....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने जो दिया पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई द्वारा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के स्पष्ट आदेशों को ठेंगे पर रखकर घोर मनमानी व अवहेलना की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेशों के महीनों व्यतीत हो जाने के बाद भी उनका अनुपालन/क्रियान्वयन मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला क्षयरोग अधिकारी हरदोई द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि ऐसा संज्ञान में आया है कि अपने निजी स्वार्थ में तो इन अधिकारियों द्वारा नियमों को ताख पर रखकर बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के ही मनमाने तरीके से कर्मचारियों/अधिकारियों का उनकी पसन्द के अनुसार जिले में इधर से उधर स्थानान्तरण कर दिया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि मा0 मुख्य मंत्री

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में सम्बन्धित कर्मचारी से निजी स्वार्थ पूरा न होने के कारण मुख्य मंत्री कार्यालय के द्वारा स्थानान्तरण करने अथवा निरस्त करने के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई को देने के बावजूद उनका अभी तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप क्षय नियंत्रण कार्यक्रम हरदोई के अन्तर्गत जिला क्षय केन्द्र हरदोई में तैनात सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर (संविदा) को प्राथमिक केन्द्र कोथावां, हरदोई में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई के आदेश संख्या–मु0चि0अ0/आर0एन0टी0सी0पी0/15–16/2740, दिनांक 22–08–2015 को निरस्त किये जाने के आदेश मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–18906/ओ0एस0डी0 (जे)/सी0एम0/2015, दिनांक 27–08–2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई को दिये गये थे, किन्तु लगभग छः माह का समय व्यतीत हो चुका है फिर भी उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। अतः जनहित में मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई के उपरोक्त आदेश दिनांक 22–08–2015 को निरस्त/संशोधन करते हुए सम्बन्धित एस0टी0एस0 को प्रा0स्वा0 केन्द्र कोथावां से जिला क्षय केन्द्र हरदोई में तैनात करने एवं मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतएव महोदय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार से प्रभावी कार्रवाई करने तथा सदन में वक्तव्य देने की मांग करती है।

2–उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री बृजेश कुमार मित्रा संविदा के आधार पर एस0टी0एस0 (सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर) के पद पर विगत सात वर्षों से पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत हैं तथा विगत छः वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोथावां, हरदोई में कार्यरत हैं एवं इनका परिवार जनपद हरदोई के मुख्यालय पर निवास करता है। इनके द्वारा जनपद मुख्यालय से अपनी तैनाती स्थान कोथावां में कार्य किया जा रहा है। इनके बच्चों की शिक्षा–दीक्षा जनपद हरदोई में प्रारम्भ से हो रही है। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई (डा0 वी0के0 गुप्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा दिनांक 12–08–15 को जनहित में श्री बृजेश कुमार मित्रा का स्थानान्तरण प्रा0स्वा0 केन्द्र कोथावां, हरदोई से जिला क्षय केन्द्र, हरदोई कर दिया गया था जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार मित्रा द्वारा दिनांक 14–08–15 को अपना योगदान जिला क्षय केन्द्र, हरदोई में किया गया था। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 22–08–15 को श्री मित्रा का जिला क्षय केन्द्र, हरदोई में किया गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए इनकी मूल तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोथावां, हरदोई में कर दी गयी थी। श्री मित्रा को दिनांक 31–08–15 को जिला क्षय केन्द्र, हरदोई से कार्यमुक्त किया गया। श्री मित्रा द्वारा मात्र 18 दिन जिला क्षय केन्द्र, हरदोई में कार्य किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोथावां, हरदोई में छः वर्षों से कार्य किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि प्रतिवर्ष संविदा कर्मी द्वारा अनुबन्ध–पत्र में सहमति दी जाती है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के हित में जनपद हरदोई के किसी भी टी0यू0 (ब्लाक स्तर के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकता

है। श्रीमती रेनू मित्रा पत्नी श्री बृजेश कुमार मित्रा द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र में अपने जो भी चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं, वह प्रपत्र वर्ष 2011 से 2014 के मध्य के हैं। उस समय श्री मित्रा प्रा0स्वा0 केन्द्र, कोथावां, हरदोई में तैनात थे। इनके द्वारा प्रा0स्वा0 केन्द्र, कोथावां, हरदोई में तैनाती के दौरान ही अपनी पत्नी का उपचार व परिवार की देखभाल की जा रही थी।

3–श्री जगजीवन प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री के पत्र संख्या–18906/ ओ0एस0डी0(जे0)/सी0एम0/2015, दिनांक 27–08–15 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि श्री मित्रा द्वारा विगत छः वर्षों से कभी भी कोई स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्राचार नहीं किया गया है। अतः कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु श्री मित्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोथावां पर ही कार्यरत थी।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त पत्र दिनांक 28–08–15 को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसे दिनांक 01–09–15 को जिला क्षय रोग अधिकारी, हरदोई को प्राप्त करा दिया गया था। उक्त पत्र पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा पत्र दिनांक 03–03–16 के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी, हरदोई को चेतावनी देते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मुख्यचिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा पत्र संख्या–मु0चि0अ0/नियम–51/वि0स0प्र0/2015–16, दिनांक 04–03–16 द्वारा श्री जगजीवन प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री से अग्रतर निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है।,

जनपद गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा दिये जाने में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्लाह अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरे गृह जनपद गाजीपुर....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के तहसील मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत किसानों की फसलें अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से बर्बाद हो गयी थी। उनकी सरकार ने जांच कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिये जो धन (रुपया) मुहम्मदाबाद तहसील को भेजा था वह धन किसानों में वितरित न होकर तहसील के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सब गबन कर लिया गया है तथा उस लूट को छिपाने के लिये अज्ञात एफ0आई0आर0 रिपोर्ट एक लेखपाल द्वारा दर्ज करा दी गयी है। अतः आपके माध्यम से उक्त गम्भीर प्रकरण को जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है धन को गबन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित करने एवं किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रभावी आदेश दिये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये जनपद गाजीपुर को रु0 79.63 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी थी जिसमें से जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा रु0 17,42,67,000/– (सत्रह करोड़ बयालिस लाख सरसठ हजार) की धनराशि तहसील मुहम्मदाबाद को आवंटित की गयी थी जिसमें से 456 गांवों में कुल 33,528 कृषकों को रु0 16,93,67,332 (सोलह करोड़ तिरानबे लाख सरसठ हजार तीन सौ बत्तीय) की धनराशि चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वितरित की गयी है।

अवशेष धनराशि रु0 48,99,668/–में से रु0 46,00,000/– की धनराशि लेखपाल, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा बैंक कर्मियों की मिली भगत से तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से वियरर चेक बनाकर आहरित कर गबन कर ली गयी। श्री शिवमूरत लेखपाल, क्षेत्र मनिया द्वारा चेक चोरी किये जाने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–275/2016 धारा–379/419/420 के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। उक्त एफ0आई0आर0 में श्री रामकेवल पुत्र कविलास निवासी सुल्तानपुर (गैर सरकारी कर्मचारी) को अभियुक्त बनाया गया है।

तहसीलदार व उप जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद बैंक शाखा यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद में जाकर जांच किये जाने पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से आहरित कर रु0 46,000,00/–गबन करने का मामला प्रकाश में आया। जांच में दोषी पाये गये लेखपाल श्री रामद्वार यादव, श्री रामभुवन गौतम, श्री राजेन्द्र यादव (से0नि0), श्री लल्लन राम (से0नि0 रजिस्ट्रार कानूनगो), श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी लेखपाल सम्बद्ध रजिस्ट्रार कार्यालय दैवीय आपदा पटल, श्री शिवमूरत लेखपाल तथा इलाहाबाद बैंक शाखा यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद के बैंक कर्मी श्री संतोष कुमार राय, विशेष सहायक, श्री दानिश इलियास पी0ओ0 तथा श्री अभिषेक कुशवाहा फील्ड अफिसर के विरुद्ध अपराध संख्या–280/2016 धारा–419, 420, 467, 468, 471, 409/120 बी आई0पी0सी0 दिनांक 07–02–2016 को थाना–मुहम्मदाबाद में तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा दर्ज कराया गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दोषी कार्यरत लेखपाल श्री रामद्वार यादव एवं रामभुवन गौतम को दिनांक 06–02–2016 को तथा श्री शिवमूरत गुप्ता लेखपाल एवं श्री प्रमोद त्रिपाठी, लेखपाल सम्बद्ध रजिस्ट्रार कार्यालय दैवी आपदा पटल को दिनांक 12–02–2016 को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री जगदीश राम प्रभारी राजस्व निरीक्षक को आरोप–पत्र दिया गया।

बैंक कर्मियों द्वारा तहसीलदार के बिना हस्ताक्षर का मिलान किये फर्जी हस्ताक्षर पर किये गये आहरण के सम्बन्ध में इलाहाबाद बैंक शाखा यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक रिजनल आफिस वाराणसी, मुख्य कार्यालय कलकत्ता एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया, महुआबाग, गाजीपुर को भी जांच कर कार्यवाही हेतु पत्र संख्या–13/13–आपदा/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2016 प्रेषित किया गया है।

उप जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद के रिपोर्ट के आधार पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है जिसमें अपर जिलाधिकारी (भू0रा0), वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं श्री अरुण कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर, गाजीपुर हैं जिनके द्वारा जांच की जा रही है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को पत्र दिनांक 19–02–2016 प्रेषित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद से आख्या के अनुसार सभी अभियुक्तगण अपने घर से फरार हैं। इनके मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया गया है एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है तथा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है बहुत जल्द गिरफ्तार करके गबन की धनराशि की बरामदगी कर ली जायेगी।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज की कतिपय टूटी जर्जर गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में जनमानस की यातायात समस्या को ध्यान में रखते हुए टूटी हुयी गड्ढायुक्त निम्नलिखित मार्गों का मरम्मतीकरण कराये जाने की कृपा करें :–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1–विकास खण्ड मान्धाता की कटरा गुलाब सिंह से पूरे सुखदेव सम्पर्क मार्ग।

2–विकास खण्ड लक्ष्मणपुर की जेठवारा मोहनगंज मार्ग से रेडी से लक्ष्मीगंज सम्पर्क मार्ग व सिरसा सम्पर्क मार्ग।

3–विकास खण्ड मान्धाता की मान्धाता जेठवारा मार्ग पर सरैया चौराहे से नहर की पटरी से गजेहबी तक।

4–मान्धाता विश्वनाथगंज मार्ग पर खुशिहालगंज बाजार से उसरापुर डम्बल की नारी तक मार्ग।

5–मान्धाता विश्वनाथगंज के खुशिहालगंज से पुरैला तक के मार्ग।

6–विकास खण्ड सदर अन्तर्गत रायबरेली–प्रतापगढ़ मार्ग से कटकाबली सम्पर्क मार्ग।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमत की इस विकराल समस्या पर उपरोक्त गड्ढायुक्त जीर्ण–शीर्ण मार्गों का मरम्मतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में उपर्युक्त उल्लिखित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :–

1–जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता में जेठवारा–कटरा–गुलाब सिंह मार्ग के कि0मी0–9 से पूरे सुखदेव सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 5.50 कि0मी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–जेठवारा–मोहनगंज मार्ग के कि0मी0–12 में स्थित रेड़ी (मजरा गहरी) से सिरसा होते हुए लक्ष्मीगंज तक सम्पर्क मार्ग। लम्बाई 7.15 कि0मी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग का 1.65 कि0मी0 भाग पंचायती राज विभाग के अधीन है, शेष 5.50 कि0मी0 भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है जिसमें से 4.50 कि0मी0 भाग की दशा संतोषजनक है, शेष 1.00 कि0मी0 भाग वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3–मान्धाता–जेठवारा मार्ग के कि0मी0–10 में स्थित सरैया चौराहे से नहर की पटरी से गजेहबी (धनीपुर) तक 3.00 कि0मी0 लम्बाई का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

4–खुशहालगंज बाजार से उसरापुर–डम्बल की नारी तक मार्ग की लम्बाई 2.50 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग का प्रारम्भिक 1.20 कि0मी0 पंचायती राज विभाग के अधीन है, उसके आगे 1.30 कि0मी0 का मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग है, जो आंशिक रूप से

क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

5–जनपद प्रतापगढ़ में विश्वनाथगंज–मान्धाता मार्ग कि0मी0–4 में स्थित खुशहालगंज से पुरैला तक 6.00 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग का प्रारम्भिक 3.40 कि0मी0 पंचायती राज विभाग के अधीन है उसके आगे 2.60 कि0मी0 का मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग है, जिसकी दशा संतोषजनक है।

6–लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोहनगंज से कटकावली तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई व ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजकीय लालबाग आफीसर्स कालोनी की बाउन्ड्री उंची कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्दल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना....

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

नियम–51 की सूचना	**वक्तव्य**
ख्वाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजकीय लालबाग आफीसर्स कालोनी की बाउन्ड्रीवाल की बहुत ही जर्जर स्थिति हो गयी है। बाउन्ड्रीवाल तथा गेट छोटा होने के कारण कई बार कालोनी में चोरी हो चुकी है। एक माह पूर्व	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लालबाग आफीसर्स कालोनी की बाउन्ड्रीवाल कई वर्ष पूर्व बनायी गई थी। प्रश्नगत कालोनी के बी–ब्लाक के पीछे एवं जनरेटर रूम के बगल की बाउन्ड्रीवाल का लगभग 35 मीटर भाग एवं पम्प हाउस के समीप बाउन्ड्रीवाल का लगभग 05 मीटर भाग पेड़ की जड़ के दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा जनरेटर रूम एवं पम्प

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाउन्ड्रीवाल गिर जाने से एक महिला दबकर अपाहिज हो गयी थी। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजकीय लालबाग आफीसर्स कालोनी की ऊंची बाउन्ड्रीवाल यथाशीघ्र बनाये जाने की मांग करता हूं।	हाउस के बीच के शेष भाग की बाउन्ड्रीवाल कहीं–कहीं क्षतिग्रस्त एवं क्रैक हो गई है। यह भी अवगत कराना है कि बी–ब्लाक के पीछे की गिरी हुयी बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिये शासन द्वारा दिनांक 14–09–15 को रु0 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है तथा क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु प्रश्नगत बाउन्ड्रीवाल के किनारे पेड़ स्थित होने एवं उसकी जड़ों के कारण बाउन्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हुयी है। अतः बाउन्ड्रीवाल के किनारे के पेड़ को काटने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से पत्र दिनांक 26–9–2015 द्वारा अनुरोध किया गया है तथा उक्त वृक्ष के पातन के पश्चात् प्रश्नगत बाउन्ड्रीवाल के पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। जहां तक बाउन्ड्रीवाल तथा गेट के छोटा होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि बाउन्ड्रीवाल एवं गेट की ऊंचाई लगभग 1.90 मीटर है जो सामान्यतः ठीक है तथा इसे ऊंचा करने का औचित्य नहीं है।,

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी, इतनी देर ये बैठे रहे, अब अपने मामले में कुछ चाहते हैं तो अब क्या, आईए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मा0 सदस्य जिस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में हैं। हम उसके बारे में बस इतना कह सकते हैं कि नेता सदन ने आश्वस्त किया है कि वह इस पर बहुत हमदर्दी से विचार करेंगे और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करके रहे क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो बनारस के हालात खराब हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 08 तारीख को 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 14 मिनट पर मंगलवार दिनांक 8 मार्च, 2016 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 06 मार्च, 2016 **प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 153 विधान सभा (48)–25–05–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।